33 सूरए अल अहज़ाब

आयत 1-5 का विश्लेषण:

आयत 1

आयत का अनुवाद:
"ऐ नबी खुदा ही से डरते रहो और काफिरों और मुनाफिक़ों की बात न मानो, इसमें शक नहीं कि खुदा बड़ा वाक़िफ़कार हकीम है।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
नबी को काफ़िरों और मुनाफ़िक़ों की बातों से दूर रहने का आदेश दिया जाता है, क्योंकि खुदा उनसे अधिक जानकार और हकीम (बुद्धिमान) है।

हेतु (Reason):
यह आयत यह मानती है कि खुदा के आदेश पर भरोसा करना हमेशा सही है और बाकी सब गलत हो सकता है। लेकिन न्याय दर्शन के सिद्धांतों के अनुसार, किसी भी निर्णय में तर्क और प्रमाण महत्वपूर्ण होते हैं, न कि केवल एक अज्ञेय शक्ति के आदेश पर निर्भर रहना।

उदाहरण (Example):
भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि किसी भी निर्णय को विवेकपूर्ण और तर्कसंगत तरीके से लिया जाना चाहिए, न कि केवल अंधविश्वास और बिना विचार किए (अध्यक्ष 18, श्लोक 66)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत केवल खुदा के आदेश को सही मानती है, जबकि न्याय दर्शन के अनुसार, निर्णयों में तर्क और प्रमाण का पालन किया जाना चाहिए, न कि केवल विश्वास और आदेश पर।

आयत 2

आयत का अनुवाद:
"और तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास जो 'वही' की जाती है (बस) उसी की पैरवी करो, तुम लोग जो कुछ कर रहे हो खुदा उससे यक़ीनी अच्छा तरह आगाह है।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमेय (Prameya)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत नबी को आदेश देती है कि केवल वही की सच्चाई पर भरोसा किया जाए।

हेतु (Reason):
यह आयत सिर्फ़ एक स्रोत से सत्य को मानने की बात करती है, लेकिन न्याय दर्शन में सत्य का निर्धारण केवल एक स्रोत से नहीं, बल्कि विभिन्न प्रमाणों और तर्कों के आधार पर किया जाना चाहिए।

उदाहरण (Example):
भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सही ज्ञान को सभी प्रकार के प्रमाणों और तर्कों से जांचना चाहिए (अध्यक्ष 4, श्लोक 17)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत केवल एक ही स्रोत से सत्य को मानने की बात करती है, जबकि न्याय दर्शन में सत्य को विभिन्न प्रमाणों से जांचने की आवश्यकता है।

आयत 3

आयत का अनुवाद:
"ख़ुदा ही पर भरोसा रखो और ख़ुदा ही कारसाजी के लिए काफी है।"

चुना गया न्याय तत्व:
हेटु (Hetu)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत खुदा पर भरोसा रखने का आदेश देती है, क्योंकि वह हर काम को सही तरीके से करने के लिए सक्षम है।

हेतु (Reason):
यह आयत विश्वास और आध्यात्मिक निर्भरता को बढ़ावा देती है, लेकिन न्याय दर्शन के अनुसार, किसी भी कार्य के परिणामों का मूल्यांकन तर्क, योजना और सतर्कता पर आधारित होना चाहिए, न कि केवल किसी शक्ति पर निर्भर होकर।

उदाहरण (Example):
भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म के प्रति समर्पण और सही योजना के साथ काम करना ही सबसे अच्छा तरीका है, न कि केवल आस्था के बल पर निर्णय लेना (अध्यक्ष 2, श्लोक 47)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत खुदा पर अत्यधिक भरोसा करने की बात करती है, जबकि न्याय दर्शन में कर्म और योजना पर आधारित विश्वास की अधिक महत्ता है।

आयत 4

आयत का अनुवाद:
"ख़ुदा ने किसी आदमी के सीने में दो दिल नहीं पैदा किए कि (एक ही वक़्त दो इरादे कर सके) और न उसने तुम्हारी बीवियों को जिन से तुम ज़ेहार करते हो तुम्हारी माएँ बना दी और न उसने तुम्हारे लै पालकों को तुम्हारे बेटे बना दिये। ये तो फ़क़त तुम्हारी मुँह बोली बात (और ज़ुबानी जमा खर्च) है और (चाहे किसी को बुरी लगे या अच्छी) ख़ुदा तो सच्ची कहता है और सीधी राह दिखाता है।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमेय (Prameya)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत उन सामाजिक और कानूनी व्यवस्थाओं का सही विवरण देती है जो खुदा ने तय की हैं।

हेतु (Reason):
 यह आयत कुछ कानूनी और पारिवारिक नीतियों का उल्लंघन करती है जो केवल एक धर्म या आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। न्याय दर्शन के अनुसार, समाज की नीतियों का निर्धारण विवेक और तर्क के आधार पर होना चाहिए, न कि केवल धार्मिक या आध्यात्मिक आधार पर।

उदाहरण (Example):
 मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्थाओं का निर्धारण तर्क, समय और समाज की भलाई के अनुसार किया गया है। यह सीधे तौर पर धार्मिक पृष्ठभूमि पर नहीं आधारित है (मनुस्मृति, अध्याय 3)।

निगमन (Conclusion):
 यह आयत केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही सही मान्यताओं को प्रस्तुत करती है, जबकि न्याय दर्शन के अनुसार, सामाजिक व्यवस्थाओं का निर्धारण तर्क और समय के साथ करना चाहिए।

आयत 5

आयत का अनुवाद:
 "लै पालकों का उनके (असली) बापों के नाम से पुकारा करो, यही ख़ुदा के नज़दीक बहुत ठीक है हाँ अगर तुम लोग उनके असली बापों को न जानते हो तो तुम्हारे दीनी भाई और दोस्त हैं (उन्हें भाई या दोस्त कहकर पुकारा करो) और हाँ इसमें भूल चूक जाओ तो अलबत्ता उसका तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं है मगर जब तुम दिल से जानबूझ कर करो (तो ज़रूर गुनाह है) और ख़ुदा तो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है।"

चुना गया न्याय तत्व:
 व्याप्ति (Vyapti)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
 यह आयत लैपालक पुत्रों को उनके वास्तविक बापों के नाम से पुकारने का आदेश देती है, और अगर ऐसा न किया जाए तो इसे भूल माना जाता है।

हेतु (Reason):
 यह आयत वास्तविकता और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति एक निर्देश प्रदान करती है, लेकिन न्याय दर्शन में किसी भी व्यक्ति के पहचान के बारे में सभी पहलुओं का मूल्यांकन तर्कसंगत तरीके से किया जाना चाहिए, न कि केवल धार्मिक तरीके से।

उदाहरण (Example):
न्याय दर्शन के सिद्धांतों के अनुसार, पहचान और रिश्तों का निर्धारण व्यक्ति के वैधता, तर्क और संबंधों के आधार पर किया जाना चाहिए।

निगमन (Conclusion):
यह आयत लैपालक संबंधों के बारे में एक विशेष धार्मिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, जबकि न्याय दर्शन में किसी भी रिश्ते का मूल्यांकन तर्क और वैधता के आधार पर किया जाता है।

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना
1	**प्रमाण**	**एक अज्ञेय शक्ति पर भरोसा, जबकि निर्णयों में तर्क और प्रमाण की महत्ता होती है।**
2	**प्रमेय**	**सत्य का निर्धारण केवल एक स्रोत से नहीं किया जा सकता।**
3	**हेतू**	**कर्मों और योजना की महत्ता नज़रअंदाज की जाती है।**
4	**प्रमेय**	**सामाजिक व्यवस्थाओं का निर्धारण केवल धार्मिक दृष्टिकोण से होता है, जबकि यह तर्क आधारित होना चाहिए।**
5	**व्याप्ति**	**लैपालक रिश्तों का मूल्यांकन केवल धार्मिक दृष्टिकोण से किया जाता है।**

समग्र निष्कर्ष:

इन आयतों में प्रमुख रूप से विश्वास, सामाजिक व्यवस्था और कर्मों के परिणामों पर आधारित विचार प्रस्तुत किए गए हैं। न्याय दर्शन के अनुसार, समाज और व्यक्तिगत निर्णयों में तर्क, प्रमाण और विवेक का पालन किया जाना चाहिए, जो इन आयतों में स्पष्ट रूप से नज़र नहीं आता।

आयत 6-8 का विश्लेषण:

आयत 6

आयत का अनुवाद:
"नबी तो मोमिनीन से खुद उनकी जानों से भी बढ़कर हक़ रखते हैं (क्योंकि वह गोया उम्मत के मेहरबान बाप हैं) और उनकी बीवियाँ (गोया) उनकी माएँ हैं और मोमिनीन व मुहाजिरीन में से (जो लोग बाहम) क़राबतदार हैं। किताबें ख़ुदा की रूह से (ग़ैरों की निस्बत) एक दूसरे के (तर्के के) ज्यादा हक़दार हैं मगर (जब) तुम अपने दोस्तों के साथ सुलूक करना चाहो (तो दूसरी बात है) ये तो किताबे ख़ुदा में लिखा हुआ (मौजूद) है।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत कहती है कि नबी का मोमिनीन से अधिक अधिकार है, क्योंकि वह उनके लिए एक मेहरबान बाप की तरह हैं, और यह कि उनकी बीवियाँ उनकी माँ की तरह हैं।

हेतु (Reason):
यह आयत एक धार्मिक दृष्टिकोण से नबी और उनकी उम्मत के बीच रिश्ते का निर्धारण करती है, लेकिन न्याय दर्शन के अनुसार, रिश्तों और अधिकारों का निर्धारण तर्क, सामाजिक न्याय, और नैतिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए, न कि केवल आध्यात्मिक पदवी के आधार पर।

उदाहरण (Example):
मनुस्मृति में सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को विवेक और तर्क के आधार पर स्थापित किया गया है, जिसमें कर्तव्यों और अधिकारों का निर्धारण किसी धार्मिक पदवी से अधिक सामाजिक न्याय पर किया जाता है (मनुस्मृति, अध्याय 3)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत धार्मिक दृष्टिकोण से रिश्तों का निर्धारण करती है, जबकि न्याय दर्शन के अनुसार, अधिकार और कर्तव्यों का निर्धारण तर्क और नैतिकता के आधार पर किया जाना चाहिए।

आयत 7

आयत का अनुवादः
"और (ऐ रसूल वह वक़्त याद करो) जब हमने और पैग़म्बरों से और ख़ास तुमसे और नूह और इबराहीम और मूसा और मरियम के बेटे ईसा से एहदो पैमाने लिया और उन लोगों से हमने सख़्त एहद लिया था।"

चुना गया न्याय तत्वः
प्रमेय (Prameya)

विश्लेषण और आलोचनाः

प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत बताती है कि नबी और अन्य प्रमुख पैग़म्बरों से एक सख़्त और महत्वपूर्ण समझौता लिया गया था।

हेतु (Reason):
यह आयत उन समझौतों की सच्चाई और शुद्धता पर जोर देती है, लेकिन न्याय दर्शन के अनुसार, किसी भी समझौते का मूल्यांकन केवल प्रमाण और सत्यता से किया जाना चाहिए, न कि एक धर्म विशेष के आधार पर।

उदाहरण (Example):
न्याय दर्शन में प्रत्येक समझौते और अनुबंध को प्रमाण और तर्क के आधार पर सुनिश्चित किया जाता है, न कि केवल विश्वास और धार्मिक आदेश से।

निगमन (Conclusion):
यह आयत समझौते की शुद्धता को धर्म के आधार पर प्रस्तुत करती है, जबकि न्याय दर्शन के अनुसार, किसी भी समझौते का मूल्यांकन प्रमाण और तर्क से किया जाना चाहिए।

आयत 8

आयत का अनुवादः
"ताकि (क़यामत के दिन) सच्चों (पैग़म्बरों) से उनकी सच्चाई तबलीग़े रिसालत का हाल दरियाफ्त करें और काफ़िरों के वास्ते तो उसने दर्दनाक अज़ाब तैयार ही कर रखा है।"

चुना गया न्याय तत्वः
व्याप्ति (Vyapti)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत कहती है कि क़यामत के दिन, सच्चे पैग़म्बर अपनी सच्चाई का प्रमाण प्रस्तुत करेंगे और काफ़िरों के लिए सजा तैयार होगी।

हेतु (Reason):
यह आयत काफ़िरों के लिए एक निश्चित सजा निर्धारित करती है, लेकिन न्याय दर्शन के सिद्धांत के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को सजा देने से पहले उसके कृत्यों का प्रमाण और तर्कसंगत न्याय होना चाहिए।

उदाहरण (Example):
भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म के अनुसार परिणाम मिलते हैं, लेकिन यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि व्यक्ति को न्याय मिलें और उसका कर्म सही तरीके से मूल्यांकन किया जाए (अध्यक्ष 18, श्लोक 63)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत काफ़िरों के लिए सजा का निर्धारण करती है, लेकिन न्याय दर्शन में सजा देने से पहले उचित मूल्यांकन और तर्क का पालन करना चाहिए।

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना
6	प्रमाण	धार्मिक दृष्टिकोण पर रिश्तों और अधिकारों का निर्धारण, जबकि न्याय दर्शन में तर्क और सामाजिक न्याय की आवश्यकता है।
7	प्रमेय	समझौतों का मूल्यांकन केवल धर्म के आधार पर किया गया है, जबकि यह प्रमाण और तर्क पर आधारित होना चाहिए।
8	व्याप्ति	सजा का निर्धारण काफ़िरों के लिए किया गया है, जबकि न्याय दर्शन में कर्म और प्रमाण के आधार पर सजा का निर्धारण होना चाहिए।

समग्र निष्कर्षः

इन आयतों में धार्मिक दृष्टिकोण से रिश्तों, समझौतों और सजा के निर्धारण की बात की गई है। हालांकि, न्याय दर्शन के अनुसार, किसी भी सामाजिक व्यवस्था, समझौते या सजा का निर्धारण तर्क, प्रमाण और नैतिकता के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि केवल धार्मिक आदेशों और विश्वासों पर।

आयत 9-10 का विश्लेषणः

आयत 9

आयत का अनुवादः
"(ऐ ईमानदारों ख़ुदा की) उन नेअमतों को याद करो जो उसने तुम पर नाज़िल की हैं (जंगे खन्दक में) जब तुम पर (काफ़िरों का) लशकर (उमड़ के) आ पड़ा तो (हमने तुम्हारी मदद की) उन पर आँधी भेजी और (इसके अलावा फरिश्तों का ऐसा लश्कर भेजा) जिसको तुमने देखा तक नहीं और तुम जो कुछ कर रहे थे ख़ुदा उसे ख़ूब देख रहा था।"

चुना गया न्याय तत्वः
हेतु (Reason)

विश्लेषण और आलोचनाः

प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत बताती है कि काफ़िरों के हमले के दौरान, अल्लाह ने ईमानदारों की मदद के लिए फरिश्तों और आँधी को भेजा था।

हेतु (Reason):
यह आयत एक धार्मिक घटना को दर्शाती है, जहां अल्लाह ने अपनी शक्ति से ईमानदारों की मदद की। न्याय दर्शन के अनुसार, किसी भी घटना को तर्क और प्रमाण के आधार पर समझा जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति मदद करता है, तो इसका मूल्यांकन मानवीय तर्क और नैतिकता पर आधारित होना चाहिए, न कि सिर्फ़ धार्मिक दृष्टिकोण से।

उदाहरण (Example):
भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि किसी भी कार्य को शुद्ध दृष्टि और तर्क के साथ

करना चाहिए, और जो कर्म किया जाता है वह उसके कारणों और नीयत पर निर्भर करता है (भगवद गीता 18.63)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत धार्मिक दृष्टिकोण से अल्लाह की मदद को प्रदर्शित करती है, लेकिन न्याय दर्शन के अनुसार, किसी भी घटना को तर्क और प्रमाण के आधार पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

आयत 10

आयत का अनुवाद:
"जिस वक़्त वह लोग तुम पर तुम्हारे ऊपर से आ पड़े और तुम्हारे नीचे की तरफ से भी पिल गए और जिस वक़्त (उनकी कसरत से) तुम्हारी आँखें ख़ैरा हो गयीं थी और (ख़ौफ से) कलेजे मुँह को आ गए थे और ख़ुदा पर तरह-तरह के (बुरे) ख़्याल करने लगे थे।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत उस समय को दर्शाती है जब ईमानदारों पर काफ़िरों का हमला हुआ और वे डर और भय से घिर गए थे, जिससे उनका विश्वास और विचारधारा प्रभावित हुई थी।

हेतु (Reason):
यह आयत एक ऐतिहासिक घटना को बयान करती है, लेकिन न्याय दर्शन के अनुसार, किसी घटना का मूल्यांकन और उसका परिणाम तर्क और साक्ष्य के आधार पर होना चाहिए, न कि केवल भय और विश्वास के आधार पर। यह दिखाता है कि किसी भी कठिन परिस्थिति में, केवल धार्मिक विश्वास ही नहीं, बल्कि तर्क और समग्र विचारधारा की आवश्यकता होती है।

उदाहरण (Example):
मनुस्मृति में यह कहा गया है कि संकट के समय में व्यक्ति को अपने विवेक और तर्क का उपयोग करना चाहिए, न कि केवल भय और संकोच से निर्णय लेना चाहिए (मनुस्मृति 6.64)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत दर्शाती है कि ईमानदारों पर काफ़िरों का हमला हुआ था, और उनके मन में डर और संकोच पैदा हुआ। हालांकि, न्याय दर्शन के अनुसार, किसी भी परिस्थिति में केवल भय और संकोच के बजाय विवेक, तर्क और प्रमाण का उपयोग किया जाना चाहिए।

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना
9	**हेतू (Reason)**	**आयत एक धार्मिक घटना को प्रस्तुत करती है, लेकिन न्याय दर्शन में किसी भी घटना का मूल्यांकन तर्क और प्रमाण के आधार पर किया जाना चाहिए।**
10	**प्रमाण (Pramana)**	**यह आयत भय और संकोच के आधार पर विश्वासों का मूल्यांकन करती है, जबकि न्याय दर्शन में विवेक और तर्क का प्रयोग महत्वपूर्ण है।**

समग्र निष्कर्ष:

इन आयतों में धार्मिक दृष्टिकोण से अल्लाह की मदद और काफ़िरों के हमले का वर्णन किया गया है। हालांकि, न्याय दर्शन के अनुसार, किसी भी घटना या परिस्थिति का मूल्यांकन केवल धार्मिक विश्वासों और भय के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। विवेक, तर्क और प्रमाण के आधार पर घटनाओं का मूल्यांकन और समझ होना चाहिए।

आयत 11-15 का विश्लेषण:

आयत 11

आयत का अनुवादः
"यहाँ पर मोमिनों का इम्तिहान लिया गया था और ख़ूब अच्छी तरह झिंझोड़े गए थे।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमेय (Object of Knowledge)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत बताती है कि ईमानदारों का इम्तिहान लिया गया था और उन्हें कठिनाइयों में डाला गया था।

हेतु (Reason):
यहाँ पर ईमानदारों का इम्तिहान और उनकी मजबूती का मूल्यांकन किया जा रहा है, लेकिन न्याय दर्शन के अनुसार, किसी भी इम्तिहान का मूल्यांकन करने के लिए तर्क और प्रमाण का होना आवश्यक है। कठिनाइयाँ किसी व्यक्ति के विश्वास और सामर्थ्य का परीक्षण हो सकती हैं, लेकिन इसका न्यायपूर्ण मूल्यांकन बाहरी घटनाओं के बजाय आंतरिक तर्क और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है।

उदाहरण (Example):
भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि युद्ध के दौरान अपने कर्तव्यों का पालन करो और किसी भी प्रकार के भय और संकोच से बचो (भगवद गीता 2.47)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत ईमानदारों के इम्तिहान की बात करती है, लेकिन न्याय दर्शन के अनुसार, इम्तिहान केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि तर्क और प्रमाण के आधार पर होना चाहिए।

आयत 12

आयत का अनुवाद:
"और जिस वक़्त मुनाफेक़ीन और वह लोग जिनके दिलों में (कुफ्र का) मरज़ था कहने लगे थे कि ख़ुदा ने और उसके रसूल ने जो हमसे वायदे किए थे वह बस बिल्कुल धोखे की टट्टी था।"

चुना गया न्याय तत्व:
हेतु (Reason)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत मुनाफ़िक़ीन और अन्य लोगों के दृष्टिकोण को दर्शाती है, जो इस वायदे को धोखा मानते थे।

हेतु (Reason):
यहां पर एक विश्वास और एक शंका को प्रस्तुत किया गया है। न्याय दर्शन के अनुसार, किसी भी विचार या विश्वास का मूल्यांकन केवल उसकी सत्यता या झूठ से नहीं, बल्कि प्रमाणों और तर्क से किया जाना चाहिए। विश्वास या शंका केवल व्यक्तिगत भावनाओं से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि वह तर्क और कारणों पर आधारित होनी चाहिए।

उदाहरण (Example):
भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि विश्वास और शंका का आधार तर्क और विवेक पर होना चाहिए, न कि भ्रम और आस्थाओं पर (भगवद गीता 4.40)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत विश्वास और शंका के सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन न्याय दर्शन में यह देखा जाता है कि विश्वास को प्रमाणों और तर्कों के आधार पर ही सही माना जा सकता है।

आयत 13

आयत का अनुवाद:
"और अब उनमें से कुछ लोग रसूल से (घर लौट जाने की) इजाज़त माँगने लगे थे कि हमारे घर (मर्दों से) बिल्कुल ख़ाली (ग़ैर महफ़ूज़) पड़े हुए हैं - हालाँकि वह ख़ाली (ग़ैर महफ़ूज़) न थे (बल्कि) वह लोग तो (इसी बहाने से) बस भागना चाहते हैं।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत बताती है कि कुछ लोग बहाने बना कर भागने के लिए इजाज़त मांग रहे थे।

हेतु (Reason):
यहां पर सत्यता और विश्वास को तर्क और प्रमाण के साथ परखा गया है। इन लोगों के बहाने को खारिज

किया गया है, क्योंकि यह केवल बहाने हैं। न्याय दर्शन में किसी भी घटना या परिस्थिति का मूल्यांकन तर्क, प्रमाण और व्यावहारिक साक्ष्य के आधार पर होना चाहिए, न कि केवल आस्थाओं और विश्वासों के आधार पर।

उदाहरण (Example):
मनुस्मृति में कहा गया है कि कोई भी कार्य यदि झूठ और बहाने से किया जाता है, तो वह निष्फल होता है और इसका परिणाम नकारात्मक होता है (मनुस्मृति 4.96)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत दिखाती है कि इन लोगों के बहाने असत्य और झूठे थे। न्याय दर्शन के अनुसार, किसी भी स्थिति का मूल्यांकन प्रमाण और तर्क पर होना चाहिए।

आयत 14

आयत का अनुवाद:
"और अगर ऐसा ही लश्कर उन लोगों पर मदीने के एतराफ से आ पड़े और उन से फसाद (ख़ाना जंगी) करने की दरख़्वास्त की जाए तो ये लोग उसके लिए (फौरन) आ मौजूद हों।"

चुना गया न्याय तत्व:
व्यास्पति (Vyapti)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत उन लोगों की तत्परता को दिखाती है, जो युद्ध की स्थिति में अपनी मदद देने के लिए तत्पर थे।

हेतु (Reason):
यहाँ पर युद्ध की स्थिति में तत्परता का मूल्यांकन किया जा रहा है। न्याय दर्शन के अनुसार, जब किसी को एक कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है, तो उसकी प्रेरणा और तर्क पर विचार किया जाना चाहिए। क्या यह निर्णय विवेकपूर्ण है या केवल परिस्थिति के दबाव में लिया गया निर्णय है?

उदाहरण (Example):
भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि किसी भी कार्य को युद्ध या हिंसा के रूप में करने से पहले, उसके परिणामों और तर्क पर विचार किया जाना चाहिए (भगवद गीता 2.47)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत उन लोगों की तत्परता को दर्शाती है, लेकिन न्याय दर्शन के अनुसार, युद्ध की स्थिति में निर्णय विवेक और तर्क के आधार पर होना चाहिए, न कि केवल दबाव या प्रेरणा के कारण।

आयत 15

आयत का अनुवाद:
"और (उस वक़्त) अपने घरों में भी बहुत कम तवक़्कुफ़ करेंगे (मगर ये तो जिहाद है) हालाँकि उन लोगों ने पहले ही ख़ुदा से एहद किया था कि हम दुश्मन के मुक़ाबले में (अपनी) पीठ न फेरेगें और ख़ुदा के एहद की पूछगछ तो (एक न एक दिन) होकर रहेगी।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत उन लोगों के एतहाद को दर्शाती है, जिन्होंने जिहाद के समय में पीठ न फेरने का वादा किया था।

हेतु (Reason):
यह आयत उन लोगों के कृत्यों और उनके वादों के साक्ष्य का मूल्यांकन करती है। न्याय दर्शन में यह सिद्धांत है कि कोई भी वादा और उसका पालन तर्क और प्रमाण के आधार पर किया जाना चाहिए।

उदाहरण (Example):
वैशेषिक दर्शन के अनुसार, किसी भी कार्य का परिणाम उस व्यक्ति के नैतिक कार्यों और उसके तर्क पर निर्भर करता है (वैशेषिक दर्शन 1.2)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत दिखाती है कि उनके वादे और कार्य सत्य थे, लेकिन न्याय दर्शन के अनुसार, वादों का पालन प्रमाण और तर्क पर निर्भर होना चाहिए।

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना
11	प्रमेय (Object of Knowledge)	इम्तिहान का मूल्यांकन प्रमाण और तर्क पर होना चाहिए, न कि केवल धार्मिक दृष्टिकोण से।
12	हेतू (Reason)	विश्वास और शंका को प्रमाण और तर्क पर आधारित समझा जाना चाहिए।
13	प्रमाण (Pramana)	बहाने को तर्क और प्रमाण के आधार पर मूल्यांकन करना आवश्यक है।
14	व्यास्पति (Vyapti)	युद्ध और निर्णयों को विवेकपूर्ण और तर्कपूर्ण तरीके से लिया जाना चाहिए।
15	प्रमाण (Pramana)	वादों और कार्यों का पालन प्रमाण और तर्क पर निर्भर होना चाहिए।

समग्र निष्कर्ष:

इन आयतों में व्यक्त किए गए विचारों को न्याय दर्शन के अनुसार, तर्क, प्रमाण और विवेक पर आधारित समझा जाना चाहिए। किसी भी कार्य को केवल धार्मिक या भावनात्मक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि तर्क, प्रमाण और नैतिकता के आधार पर देखा जाना चाहिए।

आयत 16-20 का विश्लेषण:

आयत 16

आयत का अनुवाद:
"(ऐ रसूल उनसे) कह दो कि अगर तुम मौत का क़त्ल (के ख़ौफ) से भागे भी तो (यह) भागना तुम्हें हरगिज़ कुछ भी मुफ़ीद न होगा और अगर तुम भागकर बच भी गए तो बस यही न की दुनिया में चन्द रोज़ा और चैनकर लो।"

चुना गया न्याय तत्व:
हेतु (Reason)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत बताती है कि मौत से भागने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक दिन सभी को मौत का सामना करना ही होगा।

हेतु (Reason):
यहाँ पर यह दावा किया जा रहा है कि भागने से मृत्यु से बचना असंभव है, लेकिन यह तर्क सत्यता और कारण से बाहर है। न्याय दर्शन के अनुसार, किसी भी बुराई या कठिनाई से भागने का विकल्प नहीं केवल समय के विचार पर निर्भर होता है, बल्कि उद्देश्य और दीर्घकालिक परिणामों पर आधारित होता है। यह जरूरी नहीं कि भागने से स्थिति बिगड़ ही जाए, बल्कि कभी-कभी यह रणनीति भी सहायक हो सकती है।

उदाहरण (Example):
भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि डर और भागना किसी भी कार्य को हल नहीं कर सकते, बल्कि उसे समझदारी से निपटना चाहिए (भगवद गीता 2.31)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत मृत्यु से भागने को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत करती है, जबकि न्याय दर्शन में भागने के लिए भी तर्कपूर्ण कारण हो सकते हैं।

आयत 17

आयत का अनुवाद:
"(ऐ रसूल) तुम उनसे कह दो कि अगर खुदावन्द तुम्हारे साथ बुराई का इरादा कर बैठे तो तुम्हें उसके (अज़ाब) से कौन ऐसा है जो बचाए या भलाई ही करना चाहे (तो कौन रोक सकता है) और ये लोग ख़ुदा के सिवा न तो किसी को अपना सरपरस्त पाएँगे और न मद्दगार।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत यह दर्शाती है कि केवल भगवान ही है जो किसी को बुराई से बचा सकता है या भलाई कर सकता है।

हेतु (Reason):
यहाँ पर यह सिद्ध किया जा रहा है कि ईश्वर के बिना किसी का बचाव या भलाई नहीं हो सकती, लेकिन न्याय दर्शन के अनुसार, भलाई और बचाव के लिए तर्क और प्रमाणों का भी होना जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति ईश्वर से अधिक कोई मानवीय मदद प्राप्त करता है, तो उसे भी प्रमाणित किया जा सकता है।

उदाहरण (Example):
वेदांत दर्शन में यह बताया गया है कि ईश्वर का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण है, लेकिन मानव प्रयासों और कारणों का भी महत्व होता है (उत्तरा मिमांसा 2.1.9)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत ईश्वर के मार्गदर्शन और ताकत को महत्व देती है, लेकिन न्याय दर्शन में यह देखा जाता है कि मनुष्य के प्रयासों और प्रमाणों का भी महत्वपूर्ण स्थान है।

आयत 18

आयत का अनुवाद:
"तुममें से जो लोग (दूसरों को जिहाद से) रोकते हैं ख़ुदा उनको ख़ूब जानता है और (उनको भी ख़ूब जानता है) जो अपने भाई बन्दों से कहते हैं कि हमारे पास चले भी आओ और ख़ुद भी (फक़त पीछा छुड़ाने को लड़ाई के खेत) में बस एक ज़रा सा आकर तुमसे अपनी जान चुराई (18)"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमेय (Object of Knowledge)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत उन लोगों के बारे में बताती है जो जिहाद से भागते हैं और दूसरों को भी भागने के लिए कहते हैं।

हेतु (Reason):
यहां पर उन लोगों का तिरस्कार किया गया है जो जिहाद से भागते हैं। न्याय दर्शन के अनुसार, किसी भी

व्यक्ति के कार्यों का मूल्यांकन केवल उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उनके कारणों और तर्कों से किया जाना चाहिए। यहां पर केवल आरोप लगाया जा रहा है कि वे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का उद्देश्य और कारण स्पष्ट नहीं किया गया है।

उदाहरण (Example):
भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा था कि अपनी जान की रक्षा और कर्तव्यों का पालन करना एक जिम्मेदारी है, जो किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ी जानी चाहिए (भगवद गीता 2.47)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत उन लोगों के कार्यों का तिरस्कार करती है, लेकिन न्याय दर्शन में उनकी स्थिति और तर्क को समझे बिना निष्कर्ष पर पहुँचाना सही नहीं है।

आयत 19

आयत का अनुवाद:
"और जब (उन पर) कोई ख़ौफ (का मौक़ा) आ पड़ा तो देखते हो कि (आस से) तुम्हारी तरफ देखते हैं (और) उनकी आँखें इस तरह घूमती हैं जैसे किसी शख्स पर मौत की बेहोशी छा जाए फिर वह ख़ौफ (का मौक़ा) जाता रहा और ईमानदारों की फतेह हुयी तो माले (ग़नीमत) पर गिरते पड़ते फौरन तुम पर अपनी तेज़ ज़बानों से ताना कसने लगे ये लोग (शुरू) से ईमान ही नहीं लाए (फक़त ज़बानी जमा ख़र्च थी) तो ख़ुदा ने भी इनका किया कराया सब अकारत कर दिया और ये तो ख़ुदा के वास्ते एक (निहायत) आसान बात थी।"

चुना गया न्याय तत्व:
उपनयन (Application)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत उन लोगों को दर्शाती है जो भय से आपत्ति का सामना करते हैं और फिर जब परिस्थिति में परिवर्तन आता है तो वे ताना कसने लगते हैं।

हेतु (Reason):
यहां पर यह कहा गया है कि इन लोगों के ईमान में सच्चाई नहीं थी, और उनके कार्य सिर्फ शब्दों तक सीमित थे। न्याय दर्शन में, किसी भी कार्य या विश्वास का मूल्यांकन उसके वास्तविक कारणों और परिणामों के

आधार पर किया जाना चाहिए। केवल बयानों और भावनाओं से किसी के विश्वास को परखा नहीं जा सकता।

उदाहरण (Example):
मनुस्मृति में कहा गया है कि कोई भी कार्य केवल शब्दों के आधार पर नहीं, बल्कि उसके परिणामों और सच्चाई पर आधारित होना चाहिए (मनुस्मृति 4.96)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत दिखाती है कि केवल शब्दों के आधार पर विश्वास या कार्य का मूल्यांकन करना सही नहीं है, और न्याय दर्शन में इसे प्रमाण और परिणामों से जाँचना चाहिए।

आयत 20

आयत का अनुवाद:
"(मदीने का मुहासेरा करने वाले चल भी गए मगर) ये लोग अभी यही समझ रहे हैं कि (काफ़िरों के) लश्कर अभी नहीं गए और अगर कहीं (कुफ्फार का) लश्कर फिर आ पहुँचे तो ये लोग चाहेंगे कि काश वह जंगलों में गँवारों में जा बसते और (वहीं से बैठे बैठे) तुम्हारे हालात दरयाफ़्त करते रहते और अगर उनको तुम लोगों में रहना पड़ता तो फ़क़त (पीछा छुड़ाने को) ज़रा ज़हूर (कहीं) लड़ते।"

चुना गया न्याय तत्व:
व्यास्पति (Vyapti)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत उन लोगों के मनोविज्ञान को दर्शाती है जो अपनी स्थितियों से भागने की कोशिश करते हैं।

हेतु (Reason):
यहां पर यह बताया जा रहा है कि ये लोग केवल परेशानी से बचने के लिए लड़ाई से भागते हैं। न्याय दर्शन में, किसी भी कार्य के पीछे के कारणों और उसकी वैधता पर विचार किया जाना चाहिए। यह केवल भय और भागने का एक उदाहरण है, लेकिन क्या यह सही और तर्कपूर्ण है?

उदाहरण (Example):
भगवद गीता में कहा गया है कि युद्ध के दौरान किसी भी कार्य को करने से पहले, उसका उद्देश्य और परिणाम समझना जरूरी है (भगवद गीता 2.47)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत केवल डर और भागने के विचार को प्रस्तुत करती है, लेकिन न्याय दर्शन में कार्यों का मूल्यांकन उनके कारणों और तर्क के आधार पर किया जाना चाहिए।

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना
16	हेतू (Reason)	मृत्यु से भागने के कारणों का मूल्यांकन केवल तर्क और प्रमाण पर आधारित होना चाहिए, न कि केवल भय से।
17	प्रमाण (Pramana)	ईश्वर के मार्गदर्शन के बिना मानवीय प्रयासों और प्रमाणों का महत्व भी होता है।
18	प्रमेय (Object of Knowledge)	किसी भी व्यक्ति के कार्यों का मूल्यांकन तर्क और कारणों के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि केवल आरोपों से।
19	उपनयन (Application)	कार्यों और विश्वास का मूल्यांकन उनके परिणामों और प्रमाणों पर आधारित होना चाहिए, न कि केवल शब्दों से।
20	व्यास्पति (Vyapti)	कार्यों का मूल्यांकन उनके कारणों और तर्क पर होना चाहिए, न कि केवल डर और भागने के विचार पर।

**समग्र निष

्कर्ष:**

यह आयतें विभिन्न सामाजिक और मानसिक स्थितियों का वर्णन करती हैं, लेकिन न्याय दर्शन में, किसी भी कार्य या स्थिति का मूल्यांकन उनके कारणों, प्रमाणों, और तर्कों पर आधारित होना चाहिए।

आयत 21-25 का विश्लेषण:

आयत 21

आयत का अनुवाद:

"(मुसलमानों) तुम्हारे वास्ते तो खुद रसूल अल्लाह का (ख़न्दक़ में बैठना) एक अच्छा नमूना था (मगर हाँ यह) उस शख़्स के वास्ते है जो खुदा और रोज़े आख़ेरत की उम्मीद रखता हो और खुदा की याद बाकसरत करता हो।"

चुना गया न्याय तत्व:

प्रमेय (Object of Knowledge)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):

यह आयत खुद रसूल अल्लाह के जीवन को आदर्श मानते हुए ईमानदारों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करती है।

हेतु (Reason):

यहां पर यह बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति खुदा और आख़िरत की उम्मीद रखता है, उसे रसूल अल्लाह के उदाहरण का पालन करना चाहिए। लेकिन न्याय दर्शन के अनुसार, यह तर्कपूर्ण नहीं है कि सिर्फ एक व्यक्ति का जीवन आदर्श बनाकर सभी के लिए उसे लागू किया जाए। हर व्यक्ति की परिस्थितियाँ अलग होती हैं और उन्हें खुद के अनुभव और प्रमाणों से मार्गदर्शन लेना चाहिए।

उदाहरण (Example):

भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हर व्यक्ति को अपने धर्म और परिस्थितियों के अनुसार कार्य करना चाहिए (भगवद गीता 3.35)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत ईश्वर और रसूल की शिक्षाओं को महत्वपूर्ण बताती है, लेकिन न्याय दर्शन में यह माना जाता है कि हर व्यक्ति को अपने लिए उपयुक्त मार्गदर्शन प्राप्त करने का अधिकार है।

आयत 22

आयत का अनुवाद:
"और जब सच्चे ईमानदारों ने (कुफ्फार के) जमघटों को देखा तो (बेतकल्लुफ़) कहने लगे कि ये वही चीज़ तो है जिसका हम से खुदा ने और उसके रसूल ने वायदा किया था (इसकी परवाह क्या है) और खुदा ने और उसके रसूल ने बिल्कुल ठीक कहा था और (इसके देखने से) उनका ईमानदार और उनकी इताअत और भी ज़िन्दा हो गयी।"

चुना गया न्याय तत्व:
व्यास्पति (Vyapti)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत बताती है कि जब ईमानदारों ने काफ़िरों को देखा, तो उनका विश्वास और ईमान और भी मजबूत हो गया।

हेतु (Reason):
यह आयत यह स्थापित करती है कि जो वादा ईश्वर और रसूल ने किया था, वह सच्चा था और उसे देखने से उनका ईमान मजबूत हो गया। हालांकि, न्याय दर्शन के अनुसार, विश्वास को केवल देखकर मजबूत नहीं किया जा सकता, बल्कि उसे प्रमाणों, तर्कों और अनुभवों से भी समझा जाना चाहिए।

उदाहरण (Example):
भगवद गीता में कहा गया है कि विश्वास और समर्पण केवल अनुभव और व्यक्तिगत समझ से प्रगाढ़ होते हैं (भगवद गीता 9.22)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत विश्वास को प्रमाणित करने के लिए दृश्यों और अनुभवों को महत्वपूर्ण मानती है, लेकिन न्याय दर्शन में यह समझा जाता है कि विश्वास केवल अनुभवों और प्रमाणों से ही सुदृढ़ होता है।

आयत 23

आयत का अनुवाद:
"ईमानदारों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं कि खुदा से उन्होंने (जानिसारी का) जो एहद किया था उसे पूरा कर दिखाया ग़रज़ उनमें से बाज़ वह हैं जो (मर कर) अपना वक़्त पूरा कर गए और उनमें से बाज़ (हुक्मे खुदा के) मुन्तज़िर बैठे हैं और उन लोगों ने (अपनी बात) ज़रा भी नहीं बदली।"

चुना गया न्याय तत्व:
हेतु (Reason)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत उन ईमानदारों को बधाई देती है जिन्होंने खुदा से किए गए वादों को पूरा किया।

हेतु (Reason):
यह आयत यह स्थापित करती है कि जिन्होंने अपने वादे पूरे किए, वे सच्चे ईमानदार हैं। हालांकि, न्याय दर्शन के अनुसार, किसी भी वादे की सत्यता और निष्पक्षता को केवल समय और परिणामों से देखा जाना चाहिए। यह तर्क भी सत्य नहीं है कि केवल वादा निभाना ही ईमानदार होने का प्रमाण है; इसका मूल्यांकन कारणों और उनके प्रभावों पर आधारित होना चाहिए।

उदाहरण (Example):
वेदांत दर्शन में यह कहा गया है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को समझते हुए कार्य करना चाहिए, न कि केवल अनुकरण के लिए (उत्तरा मिमांसा 2.1.9)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत केवल वादों के पालन को ईमानदारी का मापदंड मानती है, लेकिन न्याय दर्शन में यह आवश्यक नहीं कि किसी वादे का पालन ही पूरी ईमानदारी को साबित करता है।

आयत 24

आयत का अनुवाद:
"ये इम्तेहान इसलिए था ताकि खुद सच्चे (इमानदारों) को उनकी सच्चाई की जज़ाए ख़ैर दे और अगर चाहे तो मुनाफेक़ीन की सज़ा करे या (अगर वह लागे तौबा करें तो) खुदा उनकी तौबा कुबूल फरमाए इसमें शक नहीं कि खुदा बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत इम्तेहान की बात करती है, जो ईमानदारों के लिए एक तरह का पुरस्कार होता है, और मुनाफेक़ीन को उनकी सज़ा मिलती है।

हेतु (Reason):
यह आयत यह बताती है कि सच्चे ईमानदारों को उनकी सच्चाई का इनाम मिलेगा और मुनाफेक़ीन को सजा दी जाएगी। लेकिन न्याय दर्शन में यह स्वीकार्य नहीं है कि किसी के कर्मों का मूल्यांकन केवल ईश्वर की इच्छा और उनके फैसलों पर निर्भर करना चाहिए। इसका मूल्यांकन कारणों, प्रमाणों और परिणामों से किया जाना चाहिए।

उदाहरण (Example):
पाटञ्जलि योग दर्शन में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के कर्मों का फल उसके द्वारा किए गए कार्यों और कारणों के आधार पर दिया जाता है (योग सूत्र 2.12)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत कर्मों के परिणामों को ईश्वर के हाथों में मानती है, लेकिन न्याय दर्शन में कर्मों का मूल्यांकन उनके कारणों और प्रमाणों पर आधारित होना चाहिए।

आयत 25

आयत का अनुवाद:
"और खुदा ने (अपनी कुदरत से) काफिरों को मदीने से फेर दिया (और वह लोग) अपनी झुंझलाहट में (फिर गए) और इन्हें कुछ फायदे भी न हुआ और खुदा ने (अपनी मेहरबानी से) मोमिनीन को लड़ने की नौबत न आने दी और खुदा तो (बड़ा) ज़बरदस्त (और) ग़ालिब हैं।"

चुना गया न्याय तत्व:
व्यास्पति (Vyapti)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत बताती है कि खुदा ने काफ़िरों को मदीने से खदेड़ दिया और मोमिनीन को नुकसान से बचाया।

हेतु (Reason):
यह आयत दिखाती है कि खुदा ने अपने भक्तों को बचाया, जबकि काफ़िरों को नुकसान पहुँचाया। न्याय दर्शन के अनुसार, यह समझने के लिए कि यह परिणाम क्यों आया, इसका कारणों और तर्कों से विश्लेषण किया जाना चाहिए। केवल ईश्वर की शक्ति और आदेश को जिम्मेदार ठहराना पूरी तस्वीर नहीं दिखाता।

उदाहरण (Example):
सांख्य दर्शन में यह माना गया है कि कोई भी घटना परिणामों का परिणाम होती है, न कि केवल एक सामान्य आदेश का।

निगमन (Conclusion):
यह आयत दिखाती है कि ईश्वर की ताकत के कारण कुछ घटनाएँ घटीं, लेकिन न्याय दर्शन में यह माना जाता है कि हर घटना के पीछे कारण और तर्क होना चाहिए।

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना
21	प्रमेय (Object of Knowledge)	केवल एक आदर्श को सभी के लिए लागू करना तर्कपूर्ण नहीं है, हर व्यक्ति की परिस्थितियाँ अलग होती हैं।
22	व्यास्पति (Vyapti)	विश्वास को केवल देखने से मजबूत नहीं किया जा सकता, इसे प्रमाणों और तर्कों से सिद्ध किया जाना चाहिए।
23	हेतू (Reason)	वादे का पालन ही ईमानदारी का मापदंड नहीं हो सकता, इसे कारणों और परिणामों के आधार पर परखा जाना चाहिए।

24	**प्रमाण (Pramana)**	**कर्मों का मूल्यांकन केवल ईश्वर की इच्छा पर नहीं, बल्कि उनके कारणों और परिणामों पर किया जाना चाहिए।**
25	**व्यास्पति (Vyapti)**	**हर घटना के पीछे कारण और तर्क होना चाहिए, केवल ईश्वर के आदेश पर आधारित मूल्यांकन अधूरा है**

।।

निष्कर्ष:
यह आयतें ईमानदारी, विश्वास, और कर्मों के परिणामों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत करती हैं, लेकिन न्याय दर्शन में हम समझते हैं कि किसी भी घटना, कर्म, या विश्वास को केवल आधिकारिक आदेशों या दिखावे पर नहीं, बल्कि प्रमाणों, कारणों और तर्कों पर आधारित किया जाना चाहिए।

आयत 26-30 का विश्लेषण:

आयत 26

आयत का अनुवाद:
"और अहले किताब में से जिन लोगों (बनी कुरैज़ा) ने उन (कुफ्फार) की मदद की थी, खुदा उनको उनके क़िलों से (बेदख़ल करके) नीचे उतार लाया और उनके दिलों में (तुम्हारा) ऐसा रोब बैठा दिया कि तुम उनके कुछ लोगों को क़त्ल करने लगे।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमेय (Object of Knowledge)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत उन अहले किताब (यहूदी) के खिलाफ बयान करती है जिन्होंने काफ़िरों का समर्थन किया और बाद में खुदा ने उन्हें सजा दी।

हेतु (Reason):
यह आयत यह दावा करती है कि जिन लोगों ने काफ़िरों की मदद की, उन्हें खुदा ने सजा दी। हालांकि, न्याय दर्शन के अनुसार, एक व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों की सजा या पुरस्कार को केवल आधिकारिक आदेशों पर आधारित करना तर्कपूर्ण नहीं है। इस पर ध्यान देना ज़रूरी है कि किसी भी घटना के मूल्यांकन में कारण और परिणामों को आधार बनाया जाना चाहिए।

उदाहरण (Example):
भगवद गीता में कृष्ण ने कहा था कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर फल मिलता है, न कि केवल उसके समर्थन या विरोध के आधार पर (भगवद गीता 4.17)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत केवल कार्यों को उनकी दिशा और समर्थन के आधार पर सजा देती है, जबकि न्याय दर्शन में यह स्वीकार नहीं किया जाता कि किसी के कार्यों का मूल्यांकन केवल दिशा या समर्थन के आधार पर किया जाए।

आयत 27

आयत का अनुवाद:
"और कुछ को क़ैदी (और ग़ुलाम) बनाने और तुम ही लोगों को उनकी ज़मीन और उनके घर और उनके माल और उस ज़मीन (ख़ैबर) का खुदा ने मालिक बना दिया जिसमें तुमने क़दम तक नहीं रखा था और खुदा तो हर चीज़ पर क़ादिर वतवाना है।"

चुना गया न्याय तत्व:
व्यास्पति (Vyapti)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत बताती है कि जिन लोगों ने मदद की थी, उन्हें क़ैदी बना लिया गया और उनके संपत्ति पर मुसलमानों का अधिकार हो गया।

हेतु (Reason):
यह आयत यह दर्शाती है कि काफ़िरों को पराजित करने के बाद उनकी संपत्ति मुसलमानों को मिल गई।

हालांकि, न्याय दर्शन के अनुसार, संपत्ति का अधिकार केवल शारीरिक बल पर नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे कानूनी, नैतिक और तर्कसंगत आधारों पर परखा जाना चाहिए।

उदाहरण (Example):
सांख्य दर्शन में यह माना जाता है कि प्रत्येक वस्तु का स्वामित्व उसके निर्माण, कारण और उपयोग पर निर्भर करता है, न कि केवल बल या विजय पर (सांख्य दर्शन 2.14)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत केवल बल के आधार पर संपत्ति का अधिकार देने की बात करती है, जबकि न्याय दर्शन में संपत्ति का अधिकार तर्कसंगत और कानूनी आधारों पर होना चाहिए।

आयत 28

आयत का अनुवादः
"ऐ रसूल अपनी बीवियों से कह दो कि अगर तुम (फ़क़त) दुनियावी ज़िंदगी और उसकी आराइश व ज़ीनत की ख्वाहिश रखती हो तो उधर आओ मैं तुम लोगों को कुछ साज़ो सामान दे दूँ और शाइस्ता से रुख़सत कर दूँ।"

चुना गया न्याय तत्वः
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचनाः

प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत पैगंबर की बीवियों को दुनियावी भोग और सुखों से मुँह मोड़ने का प्रस्ताव देती है, यदि वे इन सुखों की इच्छुक हैं।

हेतु (Reason):
यह आयत यह प्रस्ताव करती है कि अगर बीवियाँ दुनियावी सुख चाहती हैं, तो उन्हें संसार से विदा कर दिया जाएगा। लेकिन, न्याय दर्शन के अनुसार, किसी व्यक्ति को केवल उसकी इच्छाओं के आधार पर त्याग नहीं करना चाहिए। इसका मूल्यांकन उसके सत्य और कारणों से होना चाहिए।

उदाहरण (Example):
 भगवद गीता में कृष्ण ने कहा था कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों को अपने स्वार्थ और उद्देश्य से परे, सही दिशा में करना चाहिए (भगवद गीता 3.35)।

निगमन (Conclusion):
 यह आयत इच्छाओं और भोगों के कारण त्याग का समर्थन करती है, जबकि न्याय दर्शन में यह स्वीकार नहीं किया जाता कि किसी को केवल व्यक्तिगत इच्छाओं के कारण त्याग किया जाए।

आयत 29

आयत का अनुवाद:
 "और अगर तुम लोग खुदा और उसके रसूल और आख़ेरत के घर की ख्वाहिश रखती हो तो (अच्छी तरह ख्याल रखो कि) तुम लोगों में से नेककार औरतों के लिए खुदा ने यकीनन बड़ा (बड़ा) अज्र व सवाब मुहय्या कर रखा है।"

चुना गया न्याय तत्व:
 उपमान (Upamana)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
 यह आयत पैगंबर की बीवियों को खुदा, रसूल और आख़िरत की इच्छा रखने के लिए प्रेरित करती है, जिससे उन्हें बड़ा पुरस्कार मिलेगा।

हेतु (Reason):
 यह आयत यह बताती है कि जिन महिलाओं ने खुदा और आख़िरत की इच्छा की, उन्हें बड़ा पुरस्कार मिलेगा। लेकिन न्याय दर्शन में यह महत्वपूर्ण है कि किसी व्यक्ति को पुरस्कार तभी दिया जाए जब वह सच्चे कर्मों और प्रमाणों के आधार पर योग्य हो, न कि केवल इच्छाओं के आधार पर।

उदाहरण (Example):
 मनुस्मृति में कहा गया है कि व्यक्ति को उसकी नीयत और कर्मों के आधार पर सम्मानित किया जाना चाहिए (मनुस्मृति 7.48)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत इच्छाओं के आधार पर पुरस्कार देने की बात करती है, जबकि न्याय दर्शन में कर्मों और प्रमाणों के आधार पर ही किसी को पुरस्कार मिलना चाहिए।

आयत 30

आयत का अनुवाद:
"ऐ पैग़म्बर की बीवियों तुममें से जो कोई किसी सरीही नाशाइस्ता हरकत की का मुरतिब हुई तो (याद रहे कि) उसका अज़ाब भी दुगना बढ़ा दिया जाएगा और खुदा के वास्ते (निहायत) आसान है।"

चुना गया न्याय तत्व:
हेतु (Reason)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत पैगंबर की बीवियों को चेतावनी देती है कि यदि वे कोई ग़लत हरकत करें तो उनका दंड दुगना होगा।

हेतु (Reason):
यह आयत दंड को ग़लत कार्यों के आधार पर बढ़ाने की बात करती है, लेकिन न्याय दर्शन में यह तर्क सही नहीं है कि दंड को केवल कार्य की ग़लती के आधार पर बढ़ाया जाए। दंड को उचित कारणों और सामूहिक परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

उदाहरण (Example):
पाटञ्जलि योग दर्शन में कहा गया है कि दंड या परिणाम का मूल्यांकन केवल कर्मों के आधार पर नहीं किया जाता, बल्कि उसके कारणों और परिप्रेक्ष्य को भी ध्यान में रखना चाहिए (योगसूत्र 2.34)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत दंड को कर्मों के आधार पर बढ़ाने की बात करती है, जबकि न्याय दर्शन में यह मूल्यांकन केवल कारणों और परिणामों पर आधारित होना चाहिए।

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना
26	प्रमेय (Object of Knowledge)	कार्यों का मूल्यांकन केवल दिशा और समर्थन के आधार पर नहीं, बल्कि कारणों और परिणामों के आधार पर होना चाहिए।
27	व्यास्पति (Vyapti)	संपत्ति का अधिकार केवल बल या विजय पर नहीं, बल्कि तर्कसंगत और कानूनी आधारों पर होना चाहिए।
28	प्रमाण (Pramana)	इच्छाओं के आधार पर त्याग को समर्थन करना न्यायिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है।
29	उपमान (Upamana)	पुरस्कार केवल इच्छाओं के आधार पर नहीं, बल्कि कर्मों और प्रमाणों पर आधारित होना चाहिए।
30	हेतू (Reason)	दंड का निर्धारण केवल ग़लती के आधार पर नहीं, बल्कि सामूहिक कारणों और परिस्थितियों के आधार पर होना चाहिए।

निष्कर्ष:
यह आयतें कुछ घटनाओं और कर्मों के आधार पर दंड और पुरस्कार की बात करती हैं, लेकिन न्याय दर्शन में यह स्वीकार नहीं किया जाता कि किसी का मूल्यांकन केवल बाहरी कारणों, इच्छाओं या बल के आधार पर किया जाए। प्रत्येक व्यक्ति

आयत 31-35 का विश्लेषण:

आयत 31

आयत का अनुवाद:
"और तुममें से जो (बीवी) खुदा और उसके रसूल की ताबेदारी अच्छे (अच्छे) काम करेगी, उसको हम उसका सवाब भी दोहरा अता करेंगे और हमने उसके लिए (जन्नत में) इज़्ज़त की रोज़ी तैयार कर रखी है।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमेय (Object of Knowledge)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत कहती है कि जो बीवी खुदा और रसूल के आदेशों का पालन करती है, उसे दोहरा पुरस्कार मिलेगा और जन्नत में इज्जत की रोज़ी मिलेगी।

हेतु (Reason):
यह कथन कहता है कि एक व्यक्ति के अच्छे कर्मों के लिए उसे सजा दी जाएगी, लेकिन न्याय दर्शन में यह माना जाता है कि किसी को पुरस्कार या सजा केवल कर्मों पर आधारित होनी चाहिए, न कि उसकी भूमिका या पहचान पर।

उदाहरण (Example):
भगवद गीता में कृष्ण ने कहा कि कर्मों का फल केवल कर्मों के सत्य पर निर्भर करता है (भगवद गीता 4.17)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत कर्मों के आधार पर पुरस्कार देने की बात करती है, लेकिन न्याय दर्शन में यह देखा जाता है कि किसी को उसके वास्तविक कर्मों के आधार पर पुरस्कार मिलना चाहिए, न कि किसी विशेष पहचान या भूमिका पर।

आयत 32

आयत का अनुवाद:
"ऐ नबी की बीवियों तुम और मामूली औरतों की सी तो हो वही (बस) अगर तुमको परहेज़गारी मंज़ूर रहे तो (अजनबी आदमी से) बात करने में नरम नरम (लगी लिपटी) बात न करो ताकि जिसके दिल में (शहवते ज़िना का) मजऱ् है वह (कुछ और) इरादा (न) करे।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत नबी की बीवियों को सलाह देती है कि वे अजनबी पुरुषों से नरम शब्दों में न बात करें ताकि उन पुरुषों के दिलों में कोई ग़लत इरादा न आये।

हेतु (Reason):
यहां बात की जाती है कि महिलाओं को किस प्रकार अपनी बातों से प्रभाव नहीं डालना चाहिए, परंतु यह निष्कर्ष सामाजिक दृष्टिकोण पर आधारित है और इसे व्यक्तिगत और सामाजिक विचारों की स्वतंत्रता के दायरे में समाहित किया जा सकता है। न्याय दर्शन में इस प्रकार के सामाजिक नियंत्रण को तर्कसंगत नहीं माना जाता।

उदाहरण (Example):
मनुस्मृति में यह कहा गया है कि महिलाओं के लिए उनकी पवित्रता और मर्यादा बनाए रखना जरूरी है, लेकिन यह दृष्टिकोण प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आधारित नहीं है (मनुस्मृति 3.56)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत महिलाओं को सार्वजनिक आचरण में सीमित करने की सलाह देती है, जबकि न्याय दर्शन में यह माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने आचार-विचार की स्वतंत्रता होनी चाहिए, बशर्ते वह सामाजिक और कानूनी मर्यादाओं का पालन करता हो।

आयत 33

आयत का अनुवाद:
"और (साफ-साफ) उनवाने शाइस्ता से बात किया करो और अपने घरों में निचली बैठी रहो और अगले ज़माने जाहिलियत की तरह अपना बनाव सिंगार न दिखाती फिरो और पाबन्दी से नमाज़ पढ़ा करो और (बराबर) ज़कात दिया करो और खुदा और उसके रसूल की इताअत करो ऐ (पैग़म्बर के) अहले बैत खुदा तो बस ये चाहता है कि तुमको (हर तरह की) बुराई से दूर रखे और जो पाक व पाकीज़ा दिखने का हक़ है वैसा पाक व पाकीज़ा रखे।"

चुना गया न्याय तत्व:
व्यास्पति (Vyapti)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत महिलाओं को उनके घरों में ही रहने और बाहरी दुनिया में अपनी शालीनता और आचार को बनाए रखने की सलाह देती है।

हेतु (Reason):
यह आयत महिलाओं के लिए एक विशिष्ट आचार संहिता प्रस्तुत करती है, लेकिन न्याय दर्शन में यह माना जाता है कि हर व्यक्ति को अपनी जीवनशैली चुनने का अधिकार होना चाहिए, बशर्ते यह समाज के सामान्य नियमों का उल्लंघन न करे।

उदाहरण (Example):
भगवद गीता में कृष्ण ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी कर्तव्यों का पालन अपने साध्य और उद्देश्य के अनुसार करना चाहिए (भगवद गीता 3.35)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत महिलाओं के लिए एक सख्त आचार संहिता निर्धारित करती है, जबकि न्याय दर्शन में यह स्वीकार नहीं किया जाता कि किसी विशेष जेंडर के लिए अत्यधिक नियंत्रित जीवनशैली को अनिवार्य किया जाए।

आयत 34

आयत का अनुवाद:
"और (ऐ नबी की बीवियों) तुम्हारे घरों में जो खुदा की आयतें और (अक़ल व हिकमत की बातें) पढ़ी जाती हैं उनको याद रखो कि बेशक खुदा बड़ा बारीक है वाक़िफ़कार है।"

चुना गया न्याय तत्व:
वह्यापि (Vyapti)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत नबी की बीवियों को याद दिलाती है कि उनके घरों में जो खुदा की आयतें पढ़ी जाती हैं, वे उन्हें ध्यान से सुनें और उन्हें समझें।

हेतु (Reason):
यह आयत महिलाओं को शिक्षित करने का निर्देश देती है, लेकिन न्याय दर्शन में यह विचार किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को विशेष शिक्षण पर निर्देशित करना केवल तब उचित है जब वह उस व्यक्ति के व्यक्तिगत लक्ष्यों और उद्देश्यों से मेल खाता हो।

उदाहरण (Example):
सांख्य दर्शन में यह माना गया है कि व्यक्ति को अपने भौतिक और आध्यात्मिक लक्ष्यों के आधार पर ही शिक्षा और मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए (सांख्य दर्शन 3.9)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत शिक्षा के संदर्भ में महिलाओं के लिए निर्देश देती है, लेकिन न्याय दर्शन में इसे इस रूप में आलोचना किया जा सकता है कि यह केवल एक लिंग विशेष के लिए अनिवार्य किया जाता है।

आयत 35

आयत का अनुवाद:
"(दिल लगा के सुनो) मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें और ईमानदार मर्द और ईमानदार औरतें और फरमाबरदार मर्द और फरमाबरदार औरतें और रास्तबाज़ मर्द और रास्तबाज़ औरतें और सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें और फिरौतनी करने वाले मर्द और फिरौतनी करने वाली औरतें और ऐरात करने वाले मर्द और ऐरात करने वाली औरतें और रोज़ादार मर्द और रोज़ादार औरतें और अपनी शर्मगाहों की हिफ़ाज़त करने वाले मर्द और हिफ़ाज़त करने वाली औरतें और खुदा की बकसरत याद करने वाले मर्द और याद करने वाली औरतें बेशक इन सब लोगों के वास्ते खुदा ने मगफ़िरत और (बड़ा) सवाब मुहैय्या कर रखा है।"

चुना गया न्याय तत्व:
उपमान (Upamana)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत सभी अच्छे और धार्मिक कार्यों में लिप्त पुरुषों और महिलाओं के लिए खुदा से पुरस्कार का वादा करती है।

हेतु (Reason):
यह आयत अच्छे कर्मों के लिए पुरस्कार का वादा करती है, लेकिन न्याय दर्शन में यह देखा जाता है कि पुरस्कार और सजा केवल कर्मों के वास्तविक परिणामों के आधार पर निर्धारित किए जाने चाहिए, न कि व्यक्ति की पहचान या श्रेणी के आधार पर।

उदाहरण (Example):
मनुस्मृति में यह कहा गया है कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों और नीयत के आधार पर पुरस्कार मिलना चाहिए (मनुस्मृति 7.48)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कार का वादा करती है, लेकिन न्याय दर्शन में यह यह स्वीकार नहीं करता कि किसी विशेष श्रेणी के व्यक्ति को केवल उनके लिंग या पहचान के आधार पर पुरस्कार मिले।

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना
31	प्रमेय (Object of Knowledge)	कर्मों के आधार पर पुरस्कार देना ठीक है, लेकिन यह केवल व्यक्ति की भूमिका के आधार पर नहीं होना चाहिए।
32	प्रमाण (Pramana)	महिलाओं की स्वतंत्रता पर कड़ा नियंत्रण लगाना न्यायिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है।
33	व्यास्पति (Vyapti)	महिलाओं के लिए अत्यधिक नियंत्रित जीवनशैली न्याय दर्शन से मेल नहीं खाती।
34	वह्यापि (Vyapti)	शिक्षा पर निर्देश केवल एक लिंग विशेष को देने का न्याय दर्शन में विरोध है।
35	उपमान (Upamana)	पुरस्कार केवल अच्छे कर्मों पर आधारित होना चाहिए, न कि व्यक्ति की पहचान या श्रेणी पर।

निष्कर्ष:
यह आयतें कर्मों के आधार पर पुरस्कार देने की बात करती हैं, लेकिन न्याय दर्शन में यह स्वीकार नहीं किया जाता कि किसी विशेष पहचान या भूमिका पर आधारित मूल्यांकन किया जाए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों, उद्देश्यों और साध्य के आधार पर सम्मान और पुरस्कार मिलना चाहिए, और लिंग या पहचान को इसके आधार के रूप

में नहीं देखा जाना चाहिए।

आयत 36-40 का विश्लेषण:

आयत 36

आयत का अनुवाद:
"और न किसी ईमानदार मर्द को ये मुनासिब है और न किसी ईमानदार औरत को जब खुदा और उसके रसूल किसी काम का हुक्म दें तो उनको अपने उस काम (के करने न करने) अख़्तेयार हो और (याद रहे कि) जिस शख़्स ने खुदा और उसके रसूल की नाफरमानी की वह यक़ीनन खुल्लम खुल्ला गुमराही में मुब्तिला हो चुका।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत कहती है कि जब खुदा और उसके रसूल किसी कार्य का आदेश देते हैं, तो किसी ईमानदार मर्द या औरत को अपने मन के अनुसार कार्य करने का अधिकार नहीं होता, और जो उनकी नाफरमानी करता है, वह गुमराही में पड़ जाता है।

हेतु (Reason):
यह कथन प्रमाणित करता है कि आदेशों का पालन करना आवश्यक है, लेकिन यह दृष्टिकोण इस बात को नजरअंदाज करता है कि किसी कार्य का आदेश तब तक उचित माना जाएगा, जब वह न्यायपूर्ण और तर्कसंगत हो।

उदाहरण (Example):
भगवद गीता में कृष्ण ने कहा था कि मनुष्य को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन यह भी स्वीकार किया गया है कि जब आदेश या धर्म का पालन अन्यायपूर्ण हो, तो उसका पालन नहीं करना चाहिए (भगवद गीता 3.35)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत आदेशों का पालन करने की बात करती है, लेकिन न्याय दर्शन में यह माना जाता है कि आदेश तब तक मान्य होते हैं जब वे न्यायपूर्ण और तर्कसंगत हों, और यदि आदेश अन्यायपूर्ण हों तो उन्हें नकारा जा सकता है।

आयत 37

आयत का अनुवाद:
"और (ऐ रसूल वह वक़्त याद करो) जब तुम उस शख़्स (ज़ैद) से कह रहे थे जिस पर खुदा ने एहसान (अलग) किया था और तुमने उस पर (अलग) एहसान किया था कि अपनी बीबी (ज़ैनब) को अपनी ज़ौज़ियत में रहने दे और खुदा से डर खुद तुम इस बात को अपने दिल में छिपाते थे जिसको (आख़िरकार) खुदा ज़ाहिर करने वाला था और तुम लोगों से डरते थे हालांकि खुदा इसका ज़्यादा हक़दार है कि तुम उस से डरो ग़रज़ जब ज़ैद अपनी हाजत पूरी कर चुका (तलाक़ दे दी) तो हमने (हुक्म देकर) उस औरत (ज़ैनब) का निकाह तुमसे कर दिया ताकि आम मोमिनीन को अपने ले पालक लड़कों की बीवियों (से निकाह करने) में जब वह अपना मतलब उन औरतों से पूरा कर चुकें (तलाक़ दे दें) किसी तरह की तंगी न रहे और खुदा का हुक्म तो किया कराया हुआ (क़तई) होता है।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमेय (Object of Knowledge)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत बताती है कि नबी को अपने दिल की बात छिपाने की बजाय खुदा के आदेश का पालन करना चाहिए था, और यह कि ज़ैनब से नबी का विवाह खुदा के आदेश के तहत हुआ, ताकि लोगों को यह समझ में आ सके कि पालक लड़कों की बीवियों से विवाह करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए।

हेतु (Reason):
यह आयत यह सिद्ध करती है कि नबी ने खुदा के आदेश को स्वीकार किया और बिना किसी डर के उसे लागू किया। लेकिन न्याय दर्शन में यह देखा जाता है कि किसी आदेश के तहत विवाह का निषेध तब तक नहीं होना चाहिए, जब तक वह सभी सामाजिक और नैतिक मानकों के अनुरूप हो।

उदाहरण (Example):
मनुस्मृति में यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत अधिकारों को छोडकर समाज की भलाई के लिए काम करना चाहिए (मनुस्मृति 3.56), लेकिन यदि कोई आदेश सामाजिक या नैतिक दृष्टि से गलत हो, तो उसे नकारा जा सकता है।

निगमन (Conclusion):
यह आयत एक आदेश का पालन करने की बात करती है, लेकिन न्याय दर्शन में यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आदेश सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से सही होने चाहिए।

आयत 38

आयत का अनुवाद:
"जो हुक्म खुदा ने पैग़म्बर पर फर्ज़ कर दिया (उसके करने) में उस पर कोई मुज़ाएका नहीं जो लोग (उनसे) पहले गुज़र चुके हैं उनके बारे में भी खुदा का (यही) दस्तूर (जारी) रहा है (कि निकाह में तंगी न की) और खुदा का हुक्म तो (ठीक अन्दाज़े से) मुक़र्रर हुआ होता है।"

चुना गया न्याय तत्व:
व्यास्पति (Vyapti)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत कहती है कि नबी को दिए गए आदेशों का पालन करना आवश्यक था और यह खुदा का हमेशा का आदेश रहा है, और किसी प्रकार की गड़बड़ी या विरोध नहीं किया जा सकता।

हेतु (Reason):
यह निष्कर्ष है कि यदि खुदा ने कोई आदेश दिया है, तो उसे लागू करना आवश्यक है, लेकिन न्याय दर्शन में यह माना जाता है कि आदेश तब तक स्वीकार्य होते हैं जब तक वे न्यायसंगत, तर्कसंगत और समाज की भलाई के लिए हों।

उदाहरण (Example):
भगवद गीता में कृष्ण ने कहा कि किसी भी कार्य को धर्म के अनुसार करना चाहिए, लेकिन यह भी स्वीकार किया है कि यदि कोई आदेश किसी व्यक्ति के कर्मों के सिद्धांतों से मेल नहीं खाता है, तो उसे नकारा जा सकता है (भगवद गीता 3.35)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत आदेशों का पालन करने की बात करती है, लेकिन न्याय दर्शन में यह केवल न्यायपूर्ण और तर्कसंगत आदेशों के पालन को महत्व देता है।

आयत 39

आयत का अनुवाद:
"वह लोग जो खुदा के पैग़ामों को (लोगों तक जूँ का तूँ) पहुँचाते थे और उससे डरते थे और खुदा के सिवा किसी से नहीं डरते थे (फिर तुम क्यों डरते हो) और हिसाब लेने के वास्ते तो खुद काफ़ी है।"

चुना गया न्याय तत्व:
उपमान (Upamana)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत कहती है कि जो लोग खुदा के आदेशों को पहुँचाते हैं और खुदा से डरते हैं, उन्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हिसाब लेने के लिए खुदा ही पर्याप्त है।

हेतु (Reason):
यह आदेश किसी के डर का अंत करने के लिए खुदा की महत्ता को स्थापित करता है, लेकिन न्याय दर्शन में यह यह बिंदु प्रकट करता है कि हर व्यक्ति को अपने कार्यों का जवाबदेह होना चाहिए, और यह जवाबदेही केवल धार्मिक दृष्टिकोण पर आधारित नहीं होनी चाहिए।

उदाहरण (Example):
भगवद गीता में कृष्ण ने कहा था कि आत्मा की शांति और जिम्मेदारी से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए (भगवद गीता 2.47)।

निगमन (Conclusion):
 यह आयत एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण देती है कि आदेशों का पालन करते हुए किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन न्याय दर्शन में यह जरूरी है कि हर व्यक्ति को अपने कार्यों का उत्तरदायित्व और जवाबदेही हो।

आयत 40

आयत का अनुवाद:
 "(लोगों) मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से (हक़ीक़तन) किसी के बाप नहीं हैं (फिर ज़ैद की बीवी क्यों हराम होने लगी) बल्कि अल्लाह के रसूल और नबियों की मोहर (यानि ख़त्म करने वाले) हैं और खुदा तो हर चीज़ से ख़ूब वाक़िफ है।"

चुना गया न्याय तत्व:
 व्यास्पति (Vyapti)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
 यह आयत नबी के पितृत्व के विषय में स्पष्टता प्रदान करती है और बताती है कि वे नबियों के आखिरी पैगंबर हैं।

हेतु (Reason):
 यह विचार प्रस्तुत करती है कि नबी का पितृत्व समाप्त हो चुका है और अब वे किसी के पिता नहीं हैं। हालांकि, यह विचार यह छिपाता है कि नबियों को उनके समय के समाजिक और धार्मिक निर्णयों के अनुसार क्यों सम्मानित किया जाता है।

उदाहरण (Example):
 भगवद गीता में कृष्ण ने अपने अवतार के उद्देश्य को स्पष्ट किया था, जिससे उनका रूप और पहचान परमात्मा के रूप में स्थापित होती है (भगवद गीता 9.11)।

निगमन (Conclusion):
 यह आयत नबी के पितृत्व को समाप्त घोषित करती है, लेकिन न्याय दर्शन में यह माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान और भूमिका को परिभाषित करना उस समय की सामाजिक स्थिति पर निर्भर करता है, न कि केवल धार्मिक विचारधारा पर।

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना
36	प्रमाण (Pramana)	आदेशों का पालन तब तक आवश्यक है जब तक वे न्यायसंगत और तर्कसंगत हों।
37	प्रमेय (Object of Knowledge)	आदेश केवल न्यायपूर्ण और तर्कसंगत होने चाहिए।
38	व्यास्पति (Vyapti)	आदेशों का पालन तभी सही होता है जब वे समाज के लिए न्यायपूर्ण हों।
39	उपमान (Upamana)	प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्यों का उत्तरदायित्व होना चाहिए, केवल धार्मिक दृष्टिकोण पर निर्भर नहीं।
40	व्यास्पति (Vyapti)	सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण को संतुलित रखना जरूरी है, न केवल एक पर आधारित होना चाहिए।

निष्कर्ष:
ये आयतें खुदा के आदेशों के पालन पर बल देती हैं, लेकिन न्याय दर्शन में यह विचार किया जाता है कि आदेश तभी स्वीकार्य होते हैं जब वे न्यायपूर्ण, तर्कसंगत और समाज की भलाई के लिए हों। सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण में संतुलन रखना महत्वपूर्ण है।

आयत 41-45 का विश्लेषण:

आयत 41

आयत का अनुवाद:
"ऐ ईमानवालों, बाकसरत खुदा की याद किया करो।"

चुना गया न्याय तत्व:
हेतु (Reason)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत ईमानवालों को खुदा की याद (ज़िक्र) करने की प्रेरणा देती है।

हेतु (Reason):
यह आदेश ईमानवालों को अपने जीवन में खुदा की उपस्थिति का अहसास करने के लिए प्रेरित करता है, ताकि वे सही मार्ग पर चलें।

उदाहरण (Example):
भगवद गीता में कृष्ण ने भी निरंतर ध्यान और भक्ति का महत्व बताया है (भगवद गीता 9.22)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत आंतरिक शांति और ध्यान के महत्व को उजागर करती है, लेकिन न्याय दर्शन में यह विचार करना महत्वपूर्ण है कि जब तक किसी आदेश का पालन व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बाधित नहीं करता, तब तक इसे स्वीकारा जा सकता है।

आयत 42

आयत का अनुवाद:
"सुबह व शाम उसकी तसबीह करते रहो।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमेय (Object of Knowledge)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत कहती है कि ईमानवालों को सुबह और शाम खुदा की तसबीह (ध्यान और पूजा) करनी चाहिए।

हेतु (Reason):
यह आयत भक्ति और ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाने की प्रेरणा देती है। यह भी दिखाती है कि धर्म का पालन निरंतरता और समयबद्धता के साथ होना चाहिए।

उदाहरण (Example):
भगवद गीता में कृष्ण ने कहा था कि जो व्यक्ति निरंतर भक्ति में लगा रहता है, वह मुझे प्राप्त करता है (भगवद गीता 9.22)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत भक्ति के निरंतर अभ्यास की महत्ता को बताती है, लेकिन न्याय दर्शन में यह माना जाता है कि किसी व्यक्ति को अपनी आस्थाओं और प्रथाओं का पालन व्यक्तिगत स्वतंत्रता के तहत करना चाहिए, न कि बाहरी दबाव से।

आयत 43

आयत का अनुवाद:
"वह वही तो है जो खुद तुम पर दूरूद (दर्दों रहमत) भेजता है और उसके फ़रिश्ते ताकि तुमको (कुफ्ऱ की) तारीक़ियों से निकालकर (ईमान की) रौशनी में ले जाए और खुदा ईमानवालों पर बड़ा मेहरबान है।"

चुना गया न्याय तत्व:
व्याप्ति (Vyapti)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत कहती है कि खुदा और उसके फरिश्ते ईमानवालों की मदद करते हैं, ताकि उन्हें अज्ञानता से मुक्ति मिल सके और वे प्रकाश की ओर बढ़ें।

हेतु (Reason):
यह आयत खुदा की रहमानी ताकत और उसकी कृपा को उजागर करती है, जो उसे अपने भक्तों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए भेजती है।

उदाहरण (Example):
 भगवद गीता में कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ और जब कोई भक्त मुझसे प्रार्थना करता है, तो मैं उसे निश्चित रूप से रास्ता दिखाता हूँ (भगवद गीता 9.22)।

निगमन (Conclusion):
 यह आयत खुदा की मदद और कृपा की बात करती है, लेकिन न्याय दर्शन में यह समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों के परिणामों का सामना भी करना चाहिए और न केवल धार्मिक कृपा पर निर्भर रहना चाहिए।

आयत 44

आयत का अनुवाद:
 "जिस दिन उसकी बारगाह में हाजिर होंगे (उस दिन) उनकी मुरादात (उसकी तरफ से हर किस्म की) सलामती होगी और खुदा ने तो उनके वास्ते बहुत अच्छा बदला (बेहश्त) तैयार रखा है।"

चुना गया न्याय तत्व:
 उपमान (Upamana)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
 यह आयत कहती है कि जो लोग खुदा की बारगाह में हाजिर होंगे, उनकी मुराद पूरी होगी और उन्हें जन्नत का पुरस्कार मिलेगा।

हेतु (Reason):
 यह आयत धर्म के फल के रूप में जन्नत की कल्पना करती है, जो एक सकारात्मक और सुखद पुरस्कार के रूप में प्रस्तुत होती है।

उदाहरण (Example):
 भगवद गीता में कृष्ण ने कहा था कि जो सच्चे कर्मों में विश्वास रखते हैं, वे मुझे प्राप्त करते हैं और उनके लिए सर्वोत्तम पुरुस्कार होता है (भगवद गीता 9.22)।

निगमन (Conclusion):
 यह आयत ईश्वर के पुरस्कार और कृपा की बात करती है, लेकिन न्याय दर्शन में यह विचार करना जरूरी है

कि किसी व्यक्ति को ईश्वर से उपहार तभी मिलना चाहिए, जब वह न्यायपूर्ण और तर्कसंगत ढंग से कार्य करता है।

आयत 45

आयत का अनुवाद:
"ऐ नबी, हमने तुमको (लोगों का) गवाह और (नेकों को बेहश्त की) खुशख़बरी देने वाला और बदों को अज़ाब से डराने वाला बना दिया।"

चुना गया न्याय तत्व:
हेतु (Reason)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत नबी के कर्तव्यों को स्पष्ट करती है, जिसमें उन्हें गवाह, खुशख़बरी देने वाला और अज़ाब से डराने वाला बनाने की बात की गई है।

हेतु (Reason):
यह आयत नबी के विशेष कर्तव्यों और भूमिका को स्पष्ट करती है, लेकिन न्याय दर्शन में यह यह मुद्दा उठाती है कि किसी भी दूत या गवाह का कार्य तब तक न्यायपूर्ण और तर्कसंगत होना चाहिए जब तक वह समाज की भलाई के लिए हो।

उदाहरण (Example):
भगवद गीता में कृष्ण ने कहा था कि मैं सत्य और धर्म का पालन करने के लिए इस संसार में आता हूँ (भगवद गीता 4.7)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत नबी के कार्यों को परिभाषित करती है, लेकिन न्याय दर्शन में यह महत्वपूर्ण है कि कोई भी धार्मिक कार्य सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से न्यायपूर्ण हो।

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना
41	□ету (Reason)	**आदेश व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बाधित नहीं करना चाहिए।**
42	**प्रमेय (Object of Knowledge)**	**आस्थाओं और प्रथाओं का पालन व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत होना चाहिए।**
43	**व्याप्ति (Vyapti)**	**कृपा और मदद का सम्मान करना चाहिए, लेकिन कर्मों के परिणामों का उत्तरदायित्व भी है।**
44	**उपमान (Upamana)**	**पुरस्कार तब तक न्यायपूर्ण होने चाहिए जब तक वे समाज की भलाई के लिए हों।**
45	□ету (Reason)	**किसी भी धार्मिक कार्य को न्यायपूर्ण और तर्कसंगत होना चाहिए।**

निष्कर्ष:
ये आयतें खुदा की कृपा, भक्ति, और पुरस्कार की बात करती हैं, लेकिन न्याय दर्शन में यह जरूरी है कि कोई भी धार्मिक आदेश और कार्य समाज की भलाई, तर्कसंगतता और न्याय पर आधारित हो।

आयत 46-50 का विश्लेषण:

आयत 46

आयत का अनुवाद:
"और खुदा की तरफ उसी के हुक्म से बुलाने वाला और (ईमान व हिदायत का) रौशन चिराग़ बनाकर भेजा।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमेय (Object of Knowledge)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत पैगंबर की भूमिका और उनके उद्देश्य को स्पष्ट करती है कि वह खुदा के हुक्म से मानवता को सही मार्ग पर बुलाने के लिए भेजे गए हैं।

हेतु (Reason):
यह आयत ईश्वर के मार्गदर्शन और प्रकाश की शक्ति को उजागर करती है, जो पैगंबर के माध्यम से प्रकट हो रही है।

उदाहरण (Example):
भगवद गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मैं खुदा की इच्छाओं के अनुसार जीवन के मार्ग को समझाने के लिए इस धरती पर अवतरित हुआ हूँ (भगवद गीता 4.7)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत पैगंबर की भूमिका को दर्शाती है, लेकिन न्याय दर्शन में यह देखना ज़रूरी है कि पैगंबर का मार्गदर्शन एक तर्कपूर्ण और सामाजिक रूप से स्वीकार्य मार्ग होना चाहिए, ताकि वह मानवता की भलाई को बढ़ावा दे सके।

आयत 47

आयत का अनुवाद:
"और तुम मोमिनीन को खुशख़बरी दे दो कि उनके लिए खुदा की तरफ से बहुत बड़ी (मेहरबानी और) बख़्शिश है।"

चुना गया न्याय तत्व:
उपमान (Upamana)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत ईमानवालों को खुशखबरी देती है कि उन्हें खुदा की बड़ी कृपा और माफी प्राप्त होगी।

हेतु (Reason):
यह आयत खुदा की महिमा और कृपा की बात करती है, जो ईमानवालों के लिए एक परम उपहार है।

उदाहरण (Example):
 भगवद गीता में कृष्ण ने कहा था कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से उसे भजते हैं, उन्हें वह न केवल मोक्ष देता है, बल्कि दुनिया में भी आशीर्वाद प्रदान करता है (भगवद गीता 9.22)।

निगमन (Conclusion):
 यह आयत ईमानवालों के लिए सकारात्मक संदेश देती है, लेकिन न्याय दर्शन में यह जरूरी है कि कोई भी कृपा या पुरस्कार समाज की भलाई और न्यायपूर्ण तरीके से वितरित किया जाए।

आयत 48

आयत का अनुवाद:
 "और (ऐ रसूल) तुम (कहीं) काफ़िरों और मुनाफ़िक़ों की इताअत न करना और उनकी ईज़ारसानी का ख़्याल छोड़ दो और खुदा पर भरोसा रखो और कारसाज़ी में खुदा काफ़ी है।"

चुना गया न्याय तत्व:
 हेतु (Reason)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
 यह आयत पैगंबर को काफिरों और मुनाफिकों से बचने की सलाह देती है और खुदा पर भरोसा रखने का निर्देश देती है।

हेतु (Reason):
 यह आयत यह स्पष्ट करती है कि पैगंबर को अपने कार्यों में खुदा पर भरोसा करना चाहिए और जो लोग विश्वास और सत्य के मार्ग से भटक गए हैं, उनसे दूर रहना चाहिए।

उदाहरण (Example):
 भगवद गीता में कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि जब किसी कार्य में धैर्य और शुद्ध निष्ठा हो, तब भगवान की कृपा मिलती है (भगवद गीता 9.22)।

निगमन (Conclusion):
 यह आयत पैगंबर को सही मार्ग पर चलने और नकारात्मक लोगों से दूर रहने की सलाह देती है, लेकिन न्याय

दर्शन में यह आवश्यक है कि हर व्यक्ति को तर्कसंगत तरीके से अपने कार्यों का मूल्यांकन करना चाहिए, न कि केवल विश्वास या डर से।

आयत 49

आयत का अनुवाद:
"ऐ ईमानवालों जब तुम मोमिना औरतों से (बग़ैर मेहर मुक़र्रर किये) निकाह करो उसके बाद उन्हें अपने हाथ लगाने से पहले ही तलाक़ दे दो तो फिर तुमको उनपर कोई हक़ नहीं कि (उनसे) इद्दा पूरा कराओ उनको तो कुछ (कपड़े रूपये वग़ैरह) देकर उनवाने शाइस्ता से रूख़सत कर दो।"

चुना गया न्याय तत्व:
व्याप्ति (Vyapti)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत मोमिना औरतों से निकाह के बाद तलाक़ देने पर कुछ विशेष शर्तें निर्धारित करती है, जिससे महिला को इज्जत से अलग किया जा सके।

हेतु (Reason):
यह आयत महिला के अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक प्रक्रिया स्थापित करती है, जो तलाक़ के मामले में उचित तरीके से पालन किया जा सके।

उदाहरण (Example):
मनुस्मृति में भी विवाह और तलाक़ के नियम निर्धारित हैं, जो महिलाओं को उनके अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करते हैं (मनुस्मृति 9.3)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत तलाक़ की प्रक्रिया को एक विधिक ढांचे में रखती है, लेकिन न्याय दर्शन में यह मान्यता है कि किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, और प्रत्येक क्रिया को समानता और न्याय के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए।

आयत 50

आयत का अनुवाद:
"ऐ नबी, हमने तुम्हारे वास्ते तुम्हारी उन बीवियों को हलाल कर दिया है जिनको तुम मेहर दे चुके हो और तुम्हारी उन लौंडियों को (भी) जो खुदा ने तुमको (बग़ैर लड़े-भिड़े) माले ग़नीमत में अता की है और तुम्हारे चचा की बेटियाँ और तुम्हारी फूफियों की बेटियाँ और तुम्हारे मामू की बेटियाँ और तुम्हारी ख़ालाओं की बेटियाँ जो तुम्हारे साथ हिजरत करके आयी हैं (हलाल कर दी और हर ईमानवाली औरत (भी हलाल कर दी) अगर वह अपने को (बग़ैर मेहर) नबी को दे दें और नबी भी उससे निकाह करना चाहते हों मगर (ऐ रसूल) ये हुक्म सिर्फ तुम्हारे वास्ते ख़ास है और मोमिनीन के लिए नहीं और हमने जो कुछ (मेहर या क़ीमत) आम मोमिनीन पर उनकी बीवियों और उनकी लौंडियों के बारे में मुक़र्रर कर दिया है हम ख़ूब जानते हैं और (तुम्हारी रिआयत इसलिए है) ताकि तुमको (बीवियों की तरफ से) कोई दिक्क़त न हो और खुदा तो बड़ा बख़शने वाला मेहरबान है।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमेय (Object of Knowledge)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत नबी के लिए विशिष्ट शारीरिक और वैवाहिक अधिकारों की परिभाषा करती है, जो सामान्य मुसलमानों से अलग हैं।

हेतु (Reason):
यह आयत नबी के लिए विशेष शर्तों और रियायतों की बात करती है, जो उनके कार्यों में कोई दिक्कत न हो।

उदाहरण (Example):
मनुस्मृति में विवाह और दाम्पत्य जीवन के नियम निर्धारित किए गए हैं, जो समाज के सभी वर्गों के लिए समान होते हैं (मनुस्मृति 3.13)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत नबी के लिए विशेष विवाहित अधिकारों की बात करती है, लेकिन न्याय दर्शन में यह आवश्यक है कि सभी व्यक्तियों के अधिकार समान और न्यायपूर्ण हों, चाहे वे किसी भी वर्ग या धर्म से हों।

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना
46	प्रमेय (Object of Knowledge)	पैगंबर का मार्गदर्शन न्यायपूर्ण और सामाजिक रूप से स्वीकार्य होना चाहिए।
47	उपमान (Upamana)	कृपा और पुरस्कार समाज की भलाई और न्यायपूर्ण तरीके से वितरित किए जाने चाहिए।
48	हेतु (Reason)	कार्यों का मूल्यांकन तर्कसंगत रूप से किया जाना चाहिए, न कि केवल विश्वास से।
49	व्याप्ति (Vyapti)	तलाक़ की प्रक्रिया समानता और न्याय पर आधारित होनी चाहिए।
50	प्रमेय (Object of Knowledge)	सभी व्यक्तियों के अधिकार समान और न्यायपूर्ण होने चाहिए।

निष्कर्ष:
ये आयतें पैगंबर के विशेष अधिकारों, उनकी भूमिका और विवाहित जीवन से जुड़े निर्देश देती हैं। हालांकि, न्याय दर्शन में यह आवश्यक है कि प्रत्येक आदेश और अधिकार समानता और न्याय के सिद्धांतों के तहत हो।

आयत 51-55 का विश्लेषण:

आयत 51

आयत का अनुवाद:
"इनमें से जिसको (जब) चाहो अलग कर दो और जिसको (जब तक) चाहो अपने पास रखो और जिन औरतों को तुमने अलग कर दिया था अगर फिर तुम उनके ख्वाह हो तो भी तुम पर कोई मज़ाएक़ा नहीं है ये (अख़्तेयार जो तुमको दिया गया है) ज़रूर इस क़ाबिल है कि तुम्हारी बीवियों की आँखें ठन्डी रहे और आर्जूदा

ख़ातिर न हो और वो कुछ तुम उन्हें दे दो सबकी सब उस पर राज़ी रहें और जो कुछ तुम्हारे दिलों में है ख़ुदा उसको ख़ुब जानता है और ख़ुदा तो बड़ा वाक़िफकार बुर्दबार है।"

चुना गया न्याय तत्वः
प्रमेय (Object of Knowledge)

विश्लेषण और आलोचनाः

प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत पैगंबर को महिलाओं के संबंध में पूर्ण नियंत्रण देने की बात करती है, जिसमें उन्हें अपनी इच्छानुसार विवाह और तलाक़ करने का अधिकार होता है।

हेतु (Reason):
यह आयत पुरुषों को उनके विवाहित जीवन के बारे में अधिक अधिकार देती है, ताकि वे अपनी बीवियों से संतुष्ट हो सकें और उनपर किसी प्रकार का दबाव न हो।

उदाहरण (Example):
मनुस्मृति में महिलाओं को सम्मान और उनके अधिकारों के बारे में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, जहां यह कहा गया है कि पति और पत्नी के बीच समानता होनी चाहिए (मनुस्मृति 3.4)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत पैगंबर को विशेष अधिकार देती है, लेकिन न्याय दर्शन में यह सवाल उठता है कि क्या यह अधिकार सभी पुरुषों को समान रूप से मिलना चाहिए, और क्या यह सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के अनुकूल है।

आयत 52

आयत का अनुवादः
"(ऐ रसूल) अब उन (नौ) के बाद (और) औरतें तुम्हारे वास्ते हलाल नहीं और न ये जायज़ है कि उनके बदले उनमें से किसी को छोड़कर और बीबियाँ कर लो अगर चे तुमको उनका हुस्न कैसा ही भला (क्यों न) मालूम हो मगर तुम्हारी लौंडियाँ (इस के बाद भी जायज़ हैं) और खुदा तो हर चीज़ का निगरा है।"

चुना गया न्याय तत्वः
प्रमेय (Object of Knowledge)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत पैगंबर के लिए विशेष विवाहित अधिकारों का उल्लेख करती है, जिसमें वह अपनी बीवियों को बदलने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन इसके बाद अन्य महिलाएं उनके लिए हराम हो जाती हैं।

हेतु (Reason):
यह आयत पैगंबर को सामाजिक और शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट अधिकार प्रदान करती है, जो सामान्य मुसलमानों के लिए लागू नहीं होते।

उदाहरण (Example):
भगवद गीता में कृष्ण ने समाज और धर्म के नियमों को महत्वपूर्ण बताया है, जहां प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भूमिका और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना चाहिए (भगवद गीता 3.35)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत पैगंबर के लिए विशिष्ट अधिकारों को मान्यता देती है, लेकिन न्याय दर्शन में यह सवाल उठता है कि क्या इन अधिकारों का कोई सामाजिक और नैतिक आधार है जो सभी पुरुषों के लिए समान रूप से लागू हो।

आयत 53

आयत का अनुवाद:
"ऐ ईमानदारों तुम लोग पैग़म्बर के घरों में न जाया करो मगर जब तुमको खाने के वास्ते (अन्दर आने की) इजाज़त दी जाए (लेकिन) उसके पकने का इन्तेज़ार (नबी के घर बैठकर) न करो मगर जब तुमको बुलाया जाए तो (ठीक वक़्त पर) जाओ और फिर जब खा चुको तो (फौरन अपनी अपनी जगह) चले जाया करो और बातों में न लग जाया करो क्योंकि इससे पैग़म्बर को अज़ीयत होती है तो वह तुम्हारा लैहाज़ करते हैं और ख़ुदा तो ठीक (ठीक कहने) से झेंपता नहीं और जब पैग़म्बर की बीवियों से कुछ माँगना हो तो पर्दे के बाहर से माँगा करो यही तुम्हारे दिलों और उनके दिलों के वास्ते बहुत सफाई की बात है और तुम्हारे वास्ते ये जायज़ नहीं कि रसूले ख़ुदा को (किसी तरह) अज़ीयत दो और न ये जायज़ है कि तुम उसके बाद कभी उनकी बीवियों से निकाह करो बेशक ये ख़ुदा के नज़दीक बड़ा (गुनाह) है।"

चुना गया न्याय तत्व:
व्याप्ति (Vyapti)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत पैगंबर के घर में अनावश्यक घुसपैठ से बचने के लिए एक सामाजिक नियम निर्धारित करती है और बताती है कि किसी के निजी जीवन का सम्मान करना चाहिए।

हेतु (Reason):
यह आयत सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन के बीच एक सीमा निर्धारित करती है, जो इस बात पर आधारित है कि निजी जीवन का उल्लंघन न हो।

उदाहरण (Example):
भगवद गीता में कृष्ण ने कहा था कि व्यक्ति को धर्म के अनुसार अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और व्यक्तिगत जीवन में अनुशासन रखना चाहिए (भगवद गीता 3.35)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत व्यक्तिगत सम्मान और समाज के भीतर अनुशासन की बात करती है, लेकिन न्याय दर्शन में यह महत्वपूर्ण है कि यह नियम सभी के लिए समान और न्यायपूर्ण हो, न कि केवल एक विशेष वर्ग के लिए।

आयत 54

आयत का अनुवाद:
"चाहे किसी चीज़ को तुम ज़ाहिर करो या उसे छिपाओ, खुदा तो (बहरहाल) हर चीज़ से यक़ीनी ख़ूब आगाह है।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमेय (Object of Knowledge)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत यह बताती है कि कोई भी काम, चाहे वह खुले तौर पर किया जाए या छिपाकर, ईश्वर से छिपा नहीं रहता है।

हेतु (Reason):
 यह आयत ईश्वर के सर्वज्ञ होने की बात करती है, जो प्रत्येक कार्य और विचार को जानता है।

उदाहरण (Example):
 भगवद गीता में कृष्ण ने कहा था कि वह प्रत्येक व्यक्ति के मन और कार्यों को जानते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों का फल मिलेगा (भगवद गीता 9.22)।

निगमन (Conclusion):
 यह आयत ईश्वर के सर्वज्ञता की पुष्टि करती है, लेकिन न्याय दर्शन में यह देखा जाना चाहिए कि किसी भी विचार या कार्य को करने से पहले उसके सामाजिक और नैतिक प्रभावों का मूल्यांकन किया जाए।

आयत 55

आयत का अनुवाद:
 "औरतों पर न अपने बाप दादाओं (के सामने होने) में कुछ गुनाह है और न अपने बेटों के और न अपने भाईयों के और न अपने भतीजों के और अपने भांजों के और न अपनी (क़िस्म की) औरतों के और न अपनी लौंडियों के सामने होने में कुछ गुनाह है (ऐ पैग़म्बर की बीबियों) तुम लोग खुदा से डरती रहो इसमें कोई शक ही नहीं की खुदा (तुम्हारे आमाल में) हर चीज़ से वाक़िफ़ है।"

चुना गया न्याय तत्व:
 प्रमेय (Object of Knowledge)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
 यह आयत महिलाओं के लिए एक निश्चित सीमा निर्धारित करती है कि वे किसके सामने खुलकर रह सकती हैं, यह समाज में उनके सम्मान और सुरक्षा से संबंधित है।

हेतु (Reason):
 यह आयत महिलाओं को सार्वजनिक और व्यक्तिगत जीवन के बीच एक सीमा निर्धारित करने की बात करती है, जो उनके सम्मान को बनाए रखने के लिए जरूरी है।

उदाहरण (Example):

मनुस्मृति में भी महिलाओं के सम्मान और उनके अधिकारों के बारे में कई निर्देश दिए गए हैं, जो सामाजिक मर्यादा के पालन पर आधारित हैं (मनुस्मृति 3.13)।

निगमन (Conclusion):

यह आयत महिलाओं के सम्मान की बात करती है, लेकिन न्याय दर्शन में यह जरूरी है कि यह मर्यादा हर महिला के लिए समान रूप से लागू हो, न कि किसी विशेष वर्ग या स्थिति के आधार पर।

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना
51	प्रमेय (Object of Knowledge)	विशेष अधिकारों का समाज में समान रूप से विस्तार किया जाना चाहिए।
52	प्रमेय (Object of Knowledge)	पुरुषों को समाज में समान अधिकार मिलने चाहिए।
53	व्याप्ति (Vyapti)	सभी के लिए समान नियमों का पालन किया जाना चाहिए।
54	प्रमेय (Object of Knowledge)	कार्यों के नैतिक और सामाजिक प्रभावों का मूल्यांकन करना चाहिए।
55	प्रमेय (Object of Knowledge)	महिलाओं के सम्मान की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन यह समानता पर आधारित होनी चाहिए।

निष्कर्ष:

इन आयतों में पैगंबर के विशेष अधिकारों, महिलाओं के अधिकारों और सार्वजनिक जीवन में अनुशासन की बात की गई है। न्याय दर्शन के अनुसार, इन अधिकारों का वितरण समाज के सभी वर्गों में समानता और न्याय पर आधारित होना चाहिए।

आयत 56-60 का विश्लेषण:

आयत 56

आयत का अनुवाद:
"इसमें भी शक नहीं कि खुदा और उसके फरिश्ते पैग़म्बर (और उनकी आल) पर दुरूद भेजते हैं तो ऐ ईमानदारों तुम भी दुरूद भेजते रहो और बराबर सलाम करते रहो।"

चुना गया न्याय तत्व:
हेतु (Reason)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत ईमानदारों से अनुरोध करती है कि वे पैगंबर पर दुरूद भेजते रहें और सलाम करें, जैसे कि खुदा और उसके फरिश्ते करते हैं।

हेतु (Reason):
यह आयत धार्मिक भावना और सम्मान को बढ़ाने के लिए है, जिससे समाज में अनुशासन और एकता का सृजन हो।

उदाहरण (Example):
भगवद गीता में कृष्ण ने कहा है कि भक्तों को हमेशा ईश्वर का स्मरण करना चाहिए और उन्हें सम्मान देना चाहिए (भगवद गीता 9.22)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत धार्मिक श्रद्धा और सम्मान की आवश्यकता पर जोर देती है, लेकिन न्याय दर्शन के अनुसार यह प्रश्न उठता है कि क्या यह कृत्य केवल एक वर्ग विशेष तक ही सीमित रहना चाहिए या इसे सभी के लिए समान रूप से किया जाना चाहिए।

आयत 57

आयत का अनुवाद:
"बेशक जो लोग खुदा को और उसके रसूल को अज़ीयत देते हैं उन पर खुदा ने दुनिया और आख़ेरत (दोनों) में लानत की है और उनके लिए रूसवाई का अज़ाब तैयार कर रखा है।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमेय (Object of Knowledge)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत उन लोगों के लिए चेतावनी देती है जो खुदा और उसके रसूल को नफ़रत या अज़ीयत देते हैं, उन्हें दंड और लानत का सामना करना पड़ेगा।

हेतु (Reason):
यह आयत विश्वास और ईश्वर के प्रति श्रद्धा की सुरक्षा की बात करती है।

उदाहरण (Example):
भगवद गीता में कृष्ण ने कहा कि जो लोग उसके प्रति श्रद्धाहीन होते हैं, उन्हें शरण में न आने के परिणाम भुगतने पड़ते हैं (भगवद गीता 16.19)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत उन लोगों के खिलाफ स्पष्ट चेतावनी देती है जो धार्मिक भावना को आहत करते हैं, लेकिन न्याय दर्शन में यह सवाल उठता है कि क्या यह दंड अनिवार्य है और क्या यह सभी समाजों में समान रूप से लागू होना चाहिए।

आयत 58

आयत का अनुवाद:
"और जो लोग ईमानदार मर्द और ईमानदार औरतों को बग़ैर कुछ किए द्दरे (तोहमत देकर) अज़ीयत देते हैं तो वह एक बोहतान और सरीह गुनाह का बोझ (अपनी गर्दन पर) उठाते हैं।"

चुना गया न्याय तत्व:
व्याप्ति (Vyapti)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत उन लोगों को चेतावनी देती है जो बिना कारण ईमानदारों को अपमानित करते हैं।

हेतु (Reason):
यह आयत धार्मिक और सामाजिक सम्मान की रक्षा की बात करती है, ताकि समाज में शांति और न्याय बना रहे।

उदाहरण (Example):
भगवद गीता में कृष्ण ने कहा था कि किसी व्यक्ति को धोखा देना और उसकी गरिमा को नुकसान पहुंचाना अत्यंत पापी कार्य है (भगवद गीता 9.30)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत सशक्त रूप से उन लोगों के खिलाफ है जो बिना कारण किसी को आहत करते हैं, लेकिन न्याय दर्शन में यह सवाल उठता है कि क्या इस प्रकार के आरोपों का सामना एक व्यक्ति को करना चाहिए जब तक कि वह दोषी न हो।

आयत 59

आयत का अनुवाद:
"ऐ नबी अपनी बीवियों और अपनी लड़कियों और मोमिनीन की औरतों से कह दो कि (बाहर निकलते वक़्त) अपने (चेहरों और गर्दनों) पर अपनी चादरों का घूँघट लटका लिया करंे ये उनकी (शराफ़त की) पहचान के वास्ते बहुत मुनासिब है तो उन्हें कोई छेड़ेगा नहीं और खुदा तो बड़ा बख़्शने वाला मेहरबान है।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत महिलाओं को निर्देश देती है कि वे सार्वजनिक जीवन में शराफत बनाए रखने के लिए घूंघट पहनें, ताकि उन्हें कोई छेड़छाड़ न करे।

हेतु (Reason):
यह आयत महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की रक्षा करने के लिए है, ताकि वे सामाजिक दृष्टिकोण से सुरक्षित रहें।

उदाहरण (Example):
मनुस्मृति में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए कपड़ों और आचरण के बारे में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं (मनुस्मृति 3.56)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की बात करती है, लेकिन न्याय दर्शन में यह सवाल उठता है कि क्या यह विचार समानता के सिद्धांत से मेल खाता है, और क्या यह समाज के सभी वर्गों में समान रूप से लागू होना चाहिए।

आयत 60

आयत का अनुवाद:
"ऐ रसूल मुनाफेक़ीन और वह लोग जिनके दिलों में (कुफ्र का) मजऱ् है और जो लोग मदीने में बुरी ख़बरें उड़ाया करते हैं- अगर ये लोग (अपनी शरारतों से) बाज़ न आए◌ॅगे तो हम तुम ही को (एक न एक दिन) उन पर मुसल्लत कर देगें फिर वह तुम्हारे पड़ोस में चन्द रोज़ों के सिवा ठहरने (ही) न पाएँगे।"

चुना गया न्याय तत्व:
हेतु (Reason)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत मुनाफिक़ों और उन लोगों के खिलाफ एक चेतावनी है जो समाज में बुरी अफवाहें फैलाते हैं और ईमानदारी का उल्लंघन करते हैं।

हेतु (Reason):
यह आयत समाज की सुरक्षा और धार्मिक शांति की बात करती है, ताकि झूठे आरोपों और बुरी खबरों से बचा जा सके।

उदाहरण (Example):
भगवद गीता में कृष्ण ने कहा था कि समाज में अच्छे कार्यों को बढ़ावा देना चाहिए और बुरे कर्मों को समाप्त करना चाहिए (भगवद गीता 16.24)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत बुरी अफवाहों और मुनाफिक़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात करती है, लेकिन न्याय दर्शन में यह सवाल उठता है कि क्या ऐसी कार्रवाई के लिए उचित प्रक्रिया और प्रमाण आवश्यक नहीं होते।

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना
56	हेतु (Reason)	दुरूद और सलाम भेजने की परंपरा में समानता और व्यावहारिकता की कमी।
57	प्रमेय (Object of Knowledge)	क्या यह दंड समाज में समान रूप से लागू होना चाहिए?
58	व्याप्ति (Vyapti)	बिना कारण आरोपों और अपमानों के परिणामस्वरूप समान न्याय की आवश्यकता।
59	प्रमाण (Pramana)	महिलाओं की सुरक्षा के लिए घूघट का प्रावधान, लेकिन समानता के सिद्धांत से मेल नहीं खाता।
60	हेतु (Reason)	बुरी अफवाहों के खिलाफ कार्रवाई की आवश्यकता, लेकिन उचित प्रक्रिया की आवश्यकता।

निष्कर्ष:
इन आयतों में समाज की शांति, महिलाओं की सुरक्षा, और धार्मिक सम्मान पर जोर दिया गया है, लेकिन न्याय दर्शन के दृष्टिकोण से यह सवाल उठता है कि क्या यह सभी के लिए समान और न्यायपूर्ण तरीके से लागू होना चाहिए, और क्या यह विचार समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों से मेल खाते हैं।

आयत 61-65 का विश्लेषण:

आयत 61

आयत का अनुवाद:
"लानत के मारे जहाँ कहीं हत्थे चढ़े पकड़े गए और फिर बुरी तरह मार डाले गए।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमेय (Object of Knowledge)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत उन लोगों के लिए चेतावनी है जो खुदा के आदेशों से मुंह मोड़ते हैं, और उन्हें बुरी तरह सजा दी जाती है।

हेतु (Reason):
यह आयत धार्मिक न्याय के प्रति अलर्ट करती है कि बुराई करने वालों को उनके कार्यों के परिणाम भुगतने पड़ते हैं।

उदाहरण (Example):
भगवद गीता में कृष्ण ने कहा था कि बुराई करने वालों को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है (भगवद गीता 4.17)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत बुराई के खिलाफ न्याय की बात करती है, लेकिन न्याय दर्शन में यह प्रश्न उठता है कि क्या यह सजा सभी मामलों में समान और निष्पक्ष होती है, और क्या इसे उचित तरीके से लागू किया जाता है।

आयत 62

आयत का अनुवाद:
"जो लोग पहले गुज़र गए उनके बारे में (भी) ख़ुदा की (यही) आदत (जारी) रही और तुम ख़ुदा की आदत में हरगिज़ तग़य्युर तबद्दुल न पाओगे।"

चुना गया न्याय तत्व:
व्याप्ति (Vyapti)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत यह बताती है कि खुदा की आदतें और न्याय का सिद्धांत सदा से एक समान रहा है और कभी भी बदलने वाला नहीं है।

हेतु (Reason):
यह आयत खुदा के न्याय और विधियों के स्थायित्व को दर्शाती है, यह बताने के लिए कि हर व्यक्ति को उनके कर्मों का फल मिलेगा।

उदाहरण (Example):
पतनजली के योगसूत्र में भी यह कहा गया है कि ब्रह्म के नियम स्थिर और अपरिवर्तनीय होते हैं (योगसूत्र 1.1)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत यह कहती है कि खुदा के न्याय के नियम कभी नहीं बदलते, लेकिन न्याय दर्शन में यह सवाल उठता है कि क्या यह सजा और पुरस्कार हर किसी के लिए एक समान रूप से लागू होता है या नहीं।

आयत 63

आयत का अनुवाद:
"(ऐ रसूल) लोग तुमसे क़यामत के बारे में पूछा करते हैं (तुम उनसे) कह दो कि उसका इल्म तो बस ख़ुदा को है और तुम क्या जानो शायद क़यामत क़रीब ही हो।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत बताती है कि क़यामत के बारे में केवल खुदा के पास ही सही जानकारी है।

हेतु (Reason):
यह आयत खुदा की असीमित ज्ञान और शक्ति को प्रदर्शित करती है, यह सिद्ध करती है कि इंसान उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं रख सकता।

उदाहरण (Example):
भगवद गीता में कृष्ण ने कहा था कि केवल ईश्वर ही समस्त ब्रह्मांड का सम्यक ज्ञान रखता है और किसी के पास भी उसके ज्ञान का समान नहीं होता (भगवद गीता 7.26)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत खुदा के अद्वितीय ज्ञान की बात करती है, लेकिन न्याय दर्शन में यह सवाल उठता है कि क्या यह ज्ञान मनुष्यों के लिए असुलभ होना चाहिए या नहीं, और क्या मनुष्य अपने कर्मों और भविष्य को समझने में सक्षम नहीं हो सकता।

आयत 64

आयत का अनुवाद:
"ख़ुदा ने क़ाफिरों पर यक़ीनन लानत की है और उनके लिए जहन्नुम को तैयार कर रखा है।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमेय (Object of Knowledge)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत काफिरों के लिए निश्चित सजा और दंड का उल्लेख करती है, जिसमें उन्हें जहन्नुम (नर्क) में डालने की बात कही गई है।

हेतु (Reason):
यह आयत उन लोगों के लिए दंड और परिणाम की बात करती है जो ईश्वर और उसके आदेशों का पालन नहीं करते।

उदाहरण (Example):
मनुस्मृति में भी यह कहा गया है कि जो लोग धर्म का पालन नहीं करते, उन्हें दंड मिलेगा (मनुस्मृति 8.314)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत ईश्वर द्वारा काफिरों के खिलाफ निश्चित दंड की बात करती है, लेकिन न्याय दर्शन में यह सवाल उठता है कि क्या यह दंड सभी परिस्थितियों में समान रूप से लागू किया जाता है, और क्या यह व्यक्ति के विचार और कार्यों के आधार पर भिन्न हो सकता है।

आयत 65

आयत का अनुवाद:
"जिसमें वह हमेशा अबदल आबाद रहेंगे न किसी को अपना सरपरस्त पाएँगे न मद्दगार।"

चुना गया न्याय तत्व:
व्याप्ति (Vyapti)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत काफिरों के लिए स्थायी और अटल सजा की बात करती है, जिसमें उन्हें कोई मददगार नहीं मिलेगा।

हेतु (Reason):
यह आयत न्याय का समापन करती है, यह बताती है कि बुरे कर्म करने वालों को अब कोई मदद नहीं मिलेगी, और वे हमेशा के लिए सजा भोगेंगे।

उदाहरण (Example):
भगवद गीता में कृष्ण ने कहा था कि जो लोग अपना मार्ग छोड़कर अधर्म की ओर जाते हैं, उन्हें अंत में कोई आश्रय नहीं मिलता (भगवद गीता 16.20)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत यह स्पष्ट करती है कि जो लोग बुरे कर्म करते हैं, उन्हें स्थायी और अंतहीन दंड का सामना करना होगा, लेकिन न्याय दर्शन में यह सवाल उठता है कि क्या यह सजा अनिवार्य रूप से हर व्यक्ति के लिए समान रूप से लागू होती है और क्या इससे जुड़ी अन्य कोई अपवाद हो सकते हैं।

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना
61	**प्रमेय (Object of Knowledge)**	**क्या सजा सभी मामलों में समान रूप से लागू होती है?**
62	**व्याप्ति (Vyapti)**	**क्या खुदा के न्याय के नियम हमेशा समान रूप से लागू होते हैं?**
63	**प्रमाण (Pramana)**	**क्या मनुष्य को क़यामत के बारे में जानकारी का अधिकार नहीं होना चाहिए?**
64	**प्रमेय (Object of Knowledge)**	**क्या दंड सभी के लिए समान रूप से लागू होता है?**
65	**व्याप्ति (Vyapti)**	**क्या सजा केवल बुरे कर्मों के आधार पर दी जानी चाहिए, या अन्य संदर्भों में भी भिन्न हो सकती है?**

निष्कर्ष:
इन आयतों में बुरे कर्मों के लिए सजा और अंतिम न्याय पर जोर दिया गया है, लेकिन न्याय दर्शन के दृष्टिकोण से यह सवाल उठता है कि क्या दंड और सजा हर किसी के लिए समान रूप से लागू होती है, और क्या न्याय में विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भिन्नताएँ हो सकती हैं।

आयत 66-70 का विश्लेषण:

आयत 66

आयत का अनुवाद:
"जिस दिन उनके मुँह जहन्नुम की तरफ फेर दिए जाएँगें तो उस दिन अफ़सोसनाक लहज़े में कहेंगे ऐ काश हमने ख़ुदा की इताअत की होती और रसूल का कहना माना होता।"

चुना गया न्याय तत्व:
व्याप्ति (Vyapti)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत उन लोगों के बारे में है जो जब अपने कर्मों का परिणाम भुगतेंगे, तो उन्हें पछतावा होगा कि उन्होंने खुदा और रसूल की आज्ञाओं का पालन नहीं किया।

हेतु (Reason):
यह आयत बताती है कि जो लोग ईश्वर के आदेशों की अनदेखी करते हैं, उनके लिए अंततः पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहेगा।

उदाहरण (Example):
भगवद गीता में भी कृष्ण ने कहा था कि जो लोग अपने कर्मों के परिणाम को समझते नहीं, वे पछताते हैं (भगवद गीता 9.30)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत अंततः यह निष्कर्ष देती है कि ईश्वर के आदेशों की अवहेलना करने वाले को पछतावे का सामना करना पड़ता है, और यह न्याय के सिद्धांत के अनुरूप है। हालांकि, यह सवाल उठता है कि क्या यह पछतावा किसी वास्तविक सुधार की संभावना को समाप्त कर देता है या नहीं।

आयत 67

आयत का अनुवाद:
"और कहेंगे कि परवरदिगार हमने अपने सरदारों अपने बड़ों का कहना माना तो उन्हों ही ने हमें गुमराह कर दिया।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत बताती है कि गुमराह लोग अपनी गलती के लिए अपने नेतृत्व को दोषी ठहराएंगे।

हेतु (Reason):
यह आयत यह दर्शाती है कि लोग अक्सर अपनी गलतियों को दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं, बजाय कि अपनी स्वयं की जिम्मेदारी लेने के।

उदाहरण (Example):
भगवद गीता में कृष्ण ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का स्वयं उत्तरदायी होना चाहिए (भगवद गीता 3.35)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत लोगों की मानसिकता को दर्शाती है कि वे अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ते हैं, जो न्याय दर्शन में अनुचित है। व्यक्ति को अपनी गलतियों का स्वयं उत्तरदायी होना चाहिए।

आयत 68

आयत का अनुवाद:
"परवरद्दिारा (हम पर तो अज़ाब सही है मगर) उन लोगों पर दोहरा अज़ाब नाज़िल कर और उन पर बड़ी से बड़ी लानत कर।"

चुना गया न्याय तत्व:
व्याप्ति (Vyapti)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत उन लोगों के लिए दुगना दंड और लानत की बात करती है जिन्होंने दूसरों को गुमराह किया।

हेतु (Reason):
यह आयत यह सुझाव देती है कि जो लोग दूसरों को गलत रास्ते पर ले जाते हैं, उन्हें उनके कर्मों का दोगुना फल मिलेगा।

उदाहरण (Example):
पतनजली के योगसूत्र में भी यह कहा गया है कि जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं, उन्हें उसी तरह का दंड मिलता है (योगसूत्र 2.33)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत अन्य लोगों को गुमराह करने वाले को दोगुना दंड देने की बात करती है, लेकिन न्याय दर्शन में यह सवाल उठता है कि क्या यह दंड हमेशा समान रूप से लागू होना चाहिए या कुछ अपवाद हो सकते हैं।

आयत 69

आयत का अनुवाद:
"ऐ ईमानवालों (ख़बरदार कहीं) तुम लोग भी उनके से न हो जाना जिन्होंने मूसा को तकलीफ दी तो ख़ुदा ने उनकी तोहमतों से मूसा को बरी कर दिया और मूसा ख़ुदा के नज़दीक एक रवादार (इज़्ज़त करने वाले) (पैग़म्बर) थे।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमेय (Object of Knowledge)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत ईमानवालों को चेतावनी देती है कि वे ऐसे लोगों जैसा व्यवहार न करें जिन्होंने मूसा को परेशान किया।

हेतु (Reason):
यह आयत ईश्वर के प्रति सम्मान और इज्जत की बात करती है, और यह दर्शाती है कि ईश्वर के पैगंबरों को कष्ट पहुँचाना एक गलत कार्य है।

उदाहरण (Example):
भगवद गीता में कृष्ण ने कहा था कि जो भगवान के संदेश को न समझे, वे संकट में पड़ते हैं (भगवद गीता 9.11)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत यह बताती है कि पैगंबरों के प्रति सम्मान रखना महत्वपूर्ण है, और न्याय दर्शन में यह सुनिश्चित किया जाता है कि जो भगवान के संदेशों का पालन करता है, उसे आशीर्वाद प्राप्त होता है।

आयत 70

आयत का अनुवाद:
"ऐ ईमानवालों ख़ुदा से डरते रहो और (जब कहो तो) दुरूस्त बात कहा करो।"

चुना गया न्याय तत्व:
उपमान (Upamana)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत ईमानवालों को निर्देश देती है कि वे सदैव सच्ची और सही बात बोलें।

हेतु (Reason):
यह आयत सत्य बोलने की अहमियत को दर्शाती है और यह ईश्वर के आदेशों के पालन के लिए आवश्यक है।

उदाहरण (Example):
मनुस्मृति में भी कहा गया है कि सत्य बोलना हर व्यक्ति का कर्तव्य है (मनुस्मृति 4.138)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत सत्य बोलने की आवश्यकता पर बल देती है, जो न्याय दर्शन में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप है, बल्कि समाज में संतुलन और न्याय बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना

66	**व्याप्ति (Vyapti)**	**क्या पछतावा सुधार का अवसर देता है या नहीं?**
67	**प्रमाण (Pramana)**	**क्या किसी की गलतियों को दूसरों पर आरोपित करना उचित है?**
68	**व्याप्ति (Vyapti)**	**क्या दोगुना दंड हमेशा सभी परिस्थितियों में लागू होता है?**
69	**प्रमेय (Object of Knowledge)**	**क्या यह निर्देश सभी परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है?**
70	**उपमान (Upamana)**	**क्या सत्य बोलने की आवश्यकता हमेशा समाज में न्याय बनाए रख सकती है?**

निष्कर्ष:
इन आयतों में ईमानवालों को निर्देशित किया गया है कि वे खुदा के आदेशों का पालन करें, सच्चाई बोलें, और अपने कर्मों के परिणाम को समझें। न्याय दर्शन के दृष्टिकोण से, यह सवाल उठता है कि क्या दंड और पुरस्कार सभी मामलों में समान रूप से लागू होते हैं और क्या किसी की गलती के लिए हमेशा दूसरों को दोषी ठहराना न्यायपूर्ण है।

आयत 71-73 का विश्लेषण:

आयत 71

आयत का अनुवाद:
"तो ख़ुदा तुम्हारी कारगुज़ारियों को दुरूस्त कर देगा और तुम्हारे गुनाह बख़्श देगा और जिस शख़्स ने ख़ुदा और उसके रसूल की इताअत की वह तो अपनी मुराद को ख़ूब अच्छी तरह पहुँच गया।"

चुना गया न्याय तत्व:
हेतु (Hetu)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत ईश्वर की ओर से उन लोगों के लिए आश्वासन देती है जिन्होंने उसकी और उसके रसूल की इबादत की, कि उनके गुनाह माफ कर दिए जाएंगे।

हेतु (Reason):
यह आयत बताती है कि सही मार्ग पर चलने और ईश्वर के आदेशों का पालन करने से व्यक्ति अपने गुनाहों से मुक्ति पा सकता है।

उदाहरण (Example):
भगवद गीता में कृष्ण ने कहा था कि जो व्यक्ति ईश्वर की शरण में आता है, उसके पापों को माफ कर दिया जाता है (भगवद गीता 9.22)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत ईश्वर के दयालु और क्षमाशील स्वभाव को दर्शाती है, लेकिन यह सवाल उठता है कि क्या सिर्फ ईश्वर की इबादत करने से व्यक्ति की पूरी आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है, या इसके लिए अधिक आवश्यक सुधार भी है।

आयत 72

आयत का अनुवाद:
"बेशक हमने (रोज़े अज़ल) अपनी अमानत (इताअत इबादत) को सारे आसमान और ज़मीन पहाड़ों के सामने पेश किया तो उन्होंने उसके (बार) उठाने से इन्कार किया और उससे डर गए और आदमी ने उसे (बे ताम्मुल) उठा लिया बेशक इन्सान (अपने हक़ में) बड़ा ज़ालिम (और) नादान है।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत इंसान के भीतर की कमजोरी और असंवेदनशीलता को प्रदर्शित करती है, कि किस तरह इंसान ने अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार किया, जबकि अन्य प्राणियों ने इसे अस्वीकार कर दिया।

हेतु (Reason):
यह आयत यह बताती है कि इंसान अपनी जिम्मेदारियों से भागता नहीं है और कभी-कभी यह भी उसके लिए नुकसानदेह साबित होता है।

उदाहरण (Example):
भगवद गीता में कृष्ण ने कहा था कि आत्मा का उद्देश्य अपनी जिम्मेदारियों को समझना और उनका पालन करना है (भगवद गीता 2.47)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत इंसान की नासमझी और ज़िम्मेदारी के प्रति उसकी उपेक्षा को इंगीत करती है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह आलोचना मात्र से कोई सुधार संभव है या हमें और व्यापक रूप से शिक्षा की आवश्यकता है।

आयत 73

आयत का अनुवाद:
"इसका नतीजा यह हुआ कि ख़ुदा मुनाफ़िक़ मर्दों और मुनाफ़िक़ औरतों और मुशरिक मर्दों और मुशरिक औरतों को (उनके किए की) सज़ा देगा और ईमानदार मर्दों और ईमानदार औरतों की (तक़सीर अमानत की) तौबा कुबूल फरमाएगा और ख़ुदा तो बड़ा बख़्शने वाला मेहरबान है।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमेय (Object of Knowledge)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
यह आयत यह स्पष्ट करती है कि जो लोग मुनाफिक और मुशरिक हैं, उन्हें ख़ुदा दंड देगा, जबकि जो ईमानदार हैं उनकी तौबा को स्वीकार करेगा।

हेतु (Reason):
यह आयत इस तथ्य को स्पष्ट करती है कि व्यक्ति के कर्म उसके भाग्य का निर्धारण करते हैं और ईश्वर न्यायपूर्ण तरीके से उनका प्रतिफल देता है।

उदाहरण (Example):
मनुस्मृति में भी यह कहा गया है कि व्यक्ति के कर्म ही उसे उसका फल देते हैं (मनुस्मृति 4.173)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत ईश्वर के न्याय और दया के संतुलन को प्रदर्शित करती है, और यह साबित करती है कि न्याय के सिद्धांत के अनुसार, जो ईमानदारी से अपने कृत्य सुधारते हैं, उन्हें क्षमा प्राप्त होती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस प्रकार के दंड और पुरस्कार वास्तव में समाज में समानता और शांति का आधार बन सकते हैं?

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना
71	हेतु (Hetu)	क्या ईश्वर की इताअत करने से व्यक्ति के पापों को स्थायी रूप से समाप्त किया जा सकता है?
72	प्रमाण (Pramana)	क्या इंसान की असंवेदनशीलता केवल शिक्षा से सुधारी जा सकती है, या कुछ और कदम उठाने की आवश्यकता है?
73	प्रमेय (Object of Knowledge)	क्या ईश्वर द्वारा दिया गया दंड और पुरस्कार हमेशा समान रूप से न्यायपूर्ण होते हैं, या व्यक्ति की परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए?

निष्कर्ष:
इन आयतों में ईश्वर के न्याय, दया, और दंड के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। न्याय दर्शन के दृष्टिकोण से, यह सवाल उठता है कि क्या केवल पापों के लिए दंड और ईश्वर की इताअत से सुधार पर्याप्त हैं, या समाज के भीतर बेहतर सुधार के लिए अधिक गहन शिक्षा और सुधार की आवश्यकता है।